संदर्भ सामग्री

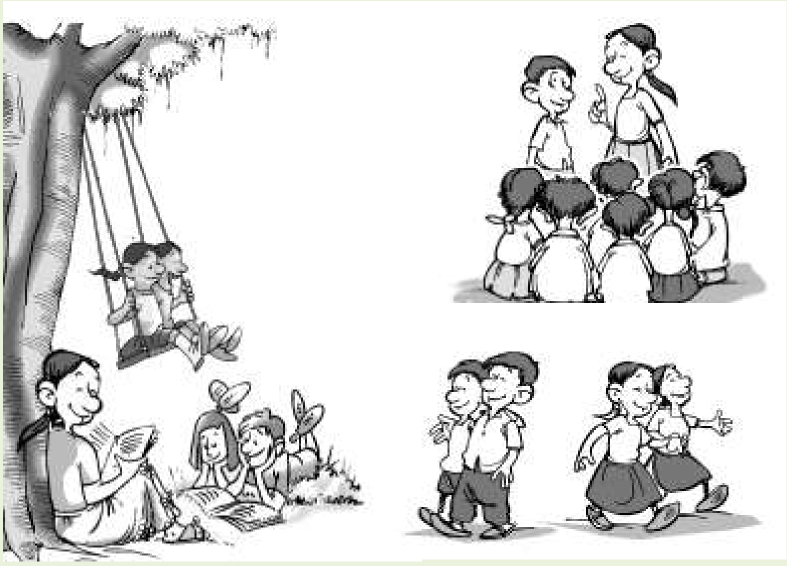

बच्चों के अधिकार

पर

दृष्टि विकास

प्रशासन अकादमी भोपाल, यूनिसेफ मध्यप्रदेश एवं समर्थन भोपाल का संयुक्त प्रयास

विषय सूची

1 उद्देश्य–परिवार, समाज संस्थाओं में बच्चों के साथ किए जाने वाले विभिन्न व्यवहार से प्रतिभागियों को स्मरण कराना एवं सार्वभौमिक मानवाधिकार के दायरे में उन व्यवहारों का आलोचनात्मक विश्लेषण कर बच्चो के साथ किए जा रहे प्रतिकूल़ व्यवहारों से बच्चे की मनःस्थिति पर होने वाले प्रभाव और समाज में बच्चों के विभिन्न स्वरूप से प्रतिभागियों को परिचित कराना। 3

1.1 कौन है बच्चे 3

1.2 बच्चों और वयस्को में अंतर 3

2 उद्देश्य–बच्चों की देखभाल, विकास, सुरक्षा एवं सहभागिता के अधिकार संबधित अंतर्राष्ट्रीय मानक, प्रमुख संवैधानिक व कानूनी प्रावधानों की जानकारी देना तथा देश व प्रदेश में बच्चों की वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए व्यक्तिगत व संस्थागत कर्तव्यधारकों द्वारा बच्चों के अधिकारों की उपेक्षा व सरकार की प्रतिबद्धताओं (कानूनी) पर प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाना। 4

2.1 बच्चे और भारतीय संविधान 4

2.2 बच्चों के संबंध में सरकार की नीति 5

2.3 संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता 1989 8

2.3.1 *जीने का अधिकार* 9

2.3.2 *विकास का अधिकार* 9

2.3.3 *सुरक्षा का अधिकार* 10

2.3.4 *सहभागिता का अधिकार* 10

2.4 बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा संबधित प्रचलित कानून 10

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते का सार 10

2.5 बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार संस्थांए व विभाग 17

3 उद्देश्य–कार्यपालिका के जिम्मेवार प्रतिनिधि एवं कर्तव्यधारक के रूप में बच्चों के प्रति उनकी तात्कालिक भूमिका को रेखांकित कर, बच्चों के सर्वोत्तम हित में उपलब्ध, कानूनी प्रावधानों और व्यवस्थाओं को उपयोग करने हेतु अभिप्रेरित करना। 19

3.1 *सामाजिक हकीकत* 19

3.2 बाल हित में हमारी भूमिका 20

3.3 विशिष्ठ भूमिका 20

3.4 बच्चों के हित में क्या किया जाना आवश्यक है 22

5 महत्वपूर्ण दूरभाष व पते 22

1 उद्देश्य–परिवार, समाज संस्थाओं में बच्चों के साथ किए जाने वाले विभिन्न व्यवहार से प्रतिभागियों को स्मरण कराना एवं सार्वभौमिक मानवाधिकार के दायरे में उन व्यवहारों का आलोचनात्मक विश्लेषण कर बच्चो के साथ किए जा रहे प्रतिकूल **व्यवहारों से** बच्चे की मनःस्थिति पर होने वाले प्रभाव और समाज में बच्चों के विभिन्न स्वरूप से प्रतिभागियों को परिचित कराना।

1.1 कौन है बच्चे

बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो समझौता 20 नवम्बर 1989 को पारित किया था, उसे भारत ने 11 दिसम्बर 1992 को स्वीकृत किया है। इस समझौते में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा माना गया है। **मतदान का अधिकार अथवा वयस्य होने की** उम्र से कम उम्र वाले सभी व्यक्ति बच्चे है। इस तर्क के आधार पर 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों को बच्चा माना जाना चाहिए। हमारे देश में 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर, देश के नागरिकों को, अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग करने की पात्रता मिल जाती है।

1.2 बच्चों और वयस्को में अंतर

शारीरिक व मानसिक तौर पर अपरिपक्व होने के कारण, बच्चे को सुरक्षा के विशेष उपायों और देखभाल की आवश्यकता है; इसमें जन्म पूर्व व बाद में समुचित कानूनी संरक्षण शामिल हैं। वयस्क लोग अपने हकों को हासिल करने में स्वयं पहलकदमी कर सकते है जबकि बच्चे दूसरों पर निर्भर हैं इसलिए सरकार व सभी प्रौढ का दायित्व है कि वे बच्चों के सर्वोत्त हितों को ध्यान देते हुए बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करे।

शहरों में बाजार, बस स्टेंड, रेल्वे स्टेशन, रेल, बस, मंदिर, विभिन्न दुकान में बच्चे कई स्वरूपों में दिखते हैं। गांव में पशुओं को हांकते जैसे–

- स्ट्रीट चिल्ड्रन,
- घर से भागे बच्चे,
- शाला न जाने वाले बच्चे,
- लच्छी की भांति बालश्रमिक बच्चे,
- घरेलू हिंसा से प्रभावित बच्चे,
- भीख मांगने वाले,
- विधि विवादित बच्चे,
- अनाथ बच्चे,
- यौन शोषण से प्रभावित बच्चे,
- कुपोषण प्रभावित बच्चे,
- विकलांग बच्चे,
- एड्स प्रभावित बच्चे

2 उद्देश्य—बच्चों की देखभाल, विकास, सुरक्षा एवं सहभागिता के अधिकार संबधित अंतर्राष्ट्रीय मानक, प्रमुख संवैधानिक व कानूनी प्रावधानों की जानकारी देना तथा देश व प्रदेश में बच्चों की वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए व्यक्तिगत व संस्थागत कर्तव्यधारकों द्वारा बच्चों के अधिकारों की उपेक्षा व सरकार की प्रतिबद्धताओं (कानूनी) पर प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाना।

2.1 बच्चे और भारतीय संविधान

भारत का संविधान बच्चों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करता है। संविधान के भाग–3 में मौलिक अधिकार एवं भाग–4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंर्तगत अनेक अनुच्छेदों में राज्य पर प्राथमिक जिम्मेवारी सौंपी गई है कि वह बच्चों की सभी जरूरतों को पूरा करे और उनके मानवाधिकारों का संरक्षण करे। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद जिनमें बच्चों को विभिन्न अधिकार प्रदान करते हैं–

अनुच्छेद – 14 : विधि के समक्ष समता
भारतीय संविधान मे **''समानता ''** को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यह समानता प्रौढ़ तथा बच्चों दोनों पर लागू होती है। अनुच्छेद 14 में कानून की नजरों में सभी समान है तथा कानून सभी को सुरक्षा प्रदान करेगा।

अनुच्छेद – 15 : धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग या जन्म स्थान इत्यादि के मुददे पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद –15(3) राज्य को स्त्रियों व बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करना
यह अनुच्छेद बच्चों और स्त्रियों के लिए विशेष दृष्टिकोण रखता है, यह राज्य के कानून को शक्ति प्रदान करता है कि वे **बच्चों तथा स्त्रियों की सामाजिक सुरक्षा** पर विशेष ध्यान दे।

अनुच्छेद – 17 : अस्पृश्यता का अंत
यह अनुच्छेद छुआछूत के किसी भी रूप को समाप्त करने पर बल देता है, छुआछूत करने वालों को सजा देता हैं तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों को समानता के दृष्टिकोण से देखता है।

अनुच्छेद – 21 (क) शिक्षा का अधिकार
राज्य द्वारा छः से चौदह वर्ष के समस्त बच्चों को उस प्रकार विहित रीति से जैसा विधि द्वारा निर्धारित किया जाए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जायेगी।

अनुच्छेद – 23 : मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध
किसी भी बच्चे को बलपूर्वक श्रम मे लगाने, बेगारी तथा दुर्व्यापार करने की मनाही है, यदि ऐसा किया जायेगा तो यह दंडनीय अपराध होगा।

अनुच्छेद – 24 : कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध
यह अनुच्छेद छोटे बच्चों को कारखानों में कार्य करने से निषेद्य करता है। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे से फैक्ट्री या माइन्स में कार्य नही करवाया जा सकता है। साथ ही यह अनुच्छेद बच्चों के स्वास्थ्य तथा शक्ति की भी रक्षा करता है।

अनुच्छेद – 39 : बच्चों के विकास के अवसर

यह अनुच्छेद **बच्चों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की रक्षा करता** है तथा उनकी रक्षा की सुविधा और अवसर प्रदान करता है। बच्चों को स्वतंत्र और महत्तवपूर्ण अंग के रूप में समाज में स्थान दिलाता है और उनके नैतिक मनोबल को बढ़ावा देता है।

अनुच्छेद – 45 : राज्य का शिक्षा संबंधित दायित्व

इस अनुच्छेद के तहत् 14 वर्ष तक (0 से 14 वर्ष) के बच्चों को निःशुल्क, गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य माना गया है।*(अब इसे संशोधित कर दिया गया है)*

अनुच्छेद – 46 : अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गो के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्वि–

राज्य पर यह जिम्मेदारी सौंपता है कि वह दुर्बल वर्गों के बच्चों की शिक्षा तथा आर्थिक स्थिति सुधारने पर विशेष ध्यान दे।

अनुच्छेद – 47 : पोषाहार स्तर और जीवनस्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्त्तव्य–

इस अनुच्छेद के द्वारा राज्य को अपने नागरिकों के खान–पान के स्तर को ऊंचा रखने और उनके बेहतर रहन सहन की व्यवस्था का उत्तरदायित्व निर्धारित होता है।

2.2 बच्चों के संबंध में सरकार की नीति

भारत के नीति निदेशक तत्वों सिद्धांतों के अनुच्छेद 39 पर आधारित एक राष्ट्रीय बाल नीति हमारे देश में बनी है।

राष्ट्रीय बाल नीति

22 अगस्त 1974 में भारत सरकार ने बच्चों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय नीति अपनाने का निर्णय लिया गया। उचित विचार विमर्श के बाद नीति में निम्नलिखित लक्ष्य रखे गए–

- देश के बच्चे एक सर्वोच्च महत्वपूर्ण संपत्ति है।
- उनकी देखभाल और चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है।
- मानव संसाधन विकास के लिए हमारी राष्ट्रीय योजनाओं में बच्चों के कार्यक्रमों को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए ताकि हमारे बच्चे सशक्त/मजबूत नागरिक बने और शारीरिक रूप से सक्षम, मानसिक रूप से सजग और नैतिक रूप से स्वस्थ बनें।
- हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि शारीरिक बढ़त की अवधि में बच्चों को विकास के समान अवसर मिलें क्योंकि इससे असमानता दूर करने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का हमारा व्यापक उद्देश्य पूरा होगा।
- बच्चों की आवश्यकताओं और उनके प्रति हमारे दायित्व संविधान में बताए गए हैं, संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय शिक्षा संकल्प बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं के बारे में राज्य को निर्देशित करता है। राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण और कुशल अपयोग से इन दस्तावेजों में बताए गए लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं।

2.2.1 नीति और उपाय

बच्चों का पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिये उन्हें जन्म से पूर्व और इसके बाद तथा बढ़त की पूरी उम्र में पर्याप्त सेवाएं प्रदान करना राज्य की नीति होगी। राज्य ऐसी सेवाओं का कार्यक्षेत्र निरंतर बढ़ाता जाएगा, ताकि सुनिश्चित अवधि में देश में सभी बच्चों को उनके संतुलित विकास के लिये सर्वोत्तम परिस्थितियां मिले। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये विशेष रूप से निम्न उपाय किये जाएंगे –

1. सभी बच्चों को एक व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रम के दायरे में लाया जाएगा।
2. बच्चे की खुराक में कमियां दूर करने के उद्देश्य से पोषण सेवाएं देने के लिये कार्यक्रम चलाए जाएगें।
3. गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के आम स्वास्थ्य में सुधार, उनकी देखभाल, पोषण तथा उन्हें पोषण के बारे में शिक्षित करने के लिये कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
4. राज्य 14 वर्ष की उम्र तक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिये उचित उपाय करेगा और राष्ट्रीय स्रोतों की उपलब्धता के अनुरूप, इस कार्य के लिये समयबद्ध कार्यक्रम चलाया जाएगा। स्कूलों में इस समय बच्चों की, खास तौर से लड़कियों और कमजोर वर्ग के बच्चों की, जो आबादी और उनके विकास में जो ठहराव आ रहा है, उसे कम करने के विशेष प्रयास किए जाएंगे। ऐसे ही वर्गों के बच्चे को स्कूल जाना शुरू करने से पहले अनौपचारिक शिक्षा देने का कार्यक्रम भी चलाया जाए।
5. जो बच्चे औपचारिक स्कूली शिक्षा का पूरा लाभ उठा पाने की स्थिति में नहीं है, उनकी जरूरतों के अनुरूप शिक्षा के अन्य तरीके उपलब्ध कराये जाने चाहिये।
6. स्कूलों, सामुदायिक केन्द्रों और ऐसी ही अन्य संस्थाओं में शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा, खेल और अन्य मनोरंजन तथा सांस्कृतिक और वैज्ञानिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
7. अवसरों की समानता सुनिश्चित करने के लिये कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों और जन जातियों के बच्चों और गांवों और शहरों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को विशेष सहायता उपलबध कराई जाएगी।
8. विपन्न सामाजिक परिस्थितियों वाले, अपराधी बन चुके, भिखारी बनने को मजबूर ओर अन्य परेशानियों में जी रहे बच्चों को शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास दिलाया जाएगा और उन्हें देश के लिये उपयोगी नागरिक बनने में मदद की जाएगी।
9. बच्चों को अपेक्षा, क्रूरता और शोषण से बचाने के लिये संरक्षित किया जाएगा।
10. चौदह वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को जोखिम वाले कामों में लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, न ही उन्हें भारी काम करने दिया जाएगा।
11. शारीरिक रूप से विकलांग, संवेगात्मक रूप से उद्वेलित और मंदबुद्धि बच्चों के विशेष उपचार, शिक्षा, पुनर्वास और देखभाल की व्यवस्था की जाएगी।
12. विपत्तियों और राष्ट्रीय आपदाओं के समय राहत सहायता देने में बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी।
13. अत्यंत प्रतिभाशाली बच्चों, खास तौर से कमजोर वर्गों के ऐसे बच्चों का पता लगाने, प्रोत्साहित करने और उनकी सहायता करने के लिये विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
14. वर्तमान कानूनों में इस प्रकार संशोधन किए जाएंगे ताकि सभी कानूनी विवादों में, चाहे वे माता–पिताओं के बीच हों अथवा संस्थाओं के बीच, बच्चों के हितों पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाएगा।
15. बच्चों के लिये विभिन्न सेवाओं के आयोजन में पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे ताकि सामान्य परिवार, पास–पड़ोस और समुदाय के वातावरण में बच्चों की क्षमताओं का पूर्ण विकास हो सके।

2.2.2 कार्यक्रम बनाने में प्राथमिकता

विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम बनाने में, इन क्षेत्रों से संबद्ध कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी –

(क) बच्चों के स्वास्थ्य से संबद्ध, रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य के उपायों वाले पक्षों को बढ़ावा देना।

(ख) स्कूल जाना शुरू करने से पहले बच्चों और शिशुओं के पोषण के साथ–साथ गर्भवती महिलाओं और और स्तन–पान कराने वाली माताओं के पोषण के कार्यक्रम,

(ग) अनाथ और विपन्न बच्चों की देखभाल, शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था,

(र्घ) कामकाजी अथवा बीमार माताओं के बच्चों की देखभाल के लिये बाल–गृह (क्रेच) तथा अन्य सुविधाएं तथा

(ड) विकलांग बच्चों की देखभाल, शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास की व्यवस्था।

2.2.3 राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन

पिछले दो दशकों में हमने उपर्युक्त दिशाओं में सेवाएं उपलब्ध कराने में काफी प्रगति की है। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कन्याण गतिविधियों का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। जहां भी जीवन–स्तर ऊंचा उठा है, उससे अप्रत्यक्ष रूप से कुछ हद तक बच्चों की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी हुई है लेकिन सारे काम का ऐसा केन्द्र–बिन्दु और मंच होना जरूरी है, जिसके माध्यम से बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करने में लगी विभिन्न सेवाओं का नियोजन, समीक्षा और समन्वय हो सके। ऐसा ही केन्द्र–बिन्दु उपलब्ध कराने तथा विभिन्न स्तरों पर सभी आवश्यक सेवाओं का निरंतर नियोजन, समीक्षा और समन्वय सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय बाल बोर्ड बनाया जाएगा। राज्य स्तर पर भी ऐसे ही विभिन्न बोर्ड बनाए जा सकते है।

2.2.4 स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका

सरकार ऐसे प्रयास करेगी ताकि बाल कल्याण कार्यक्रमों के लिये पर्याप्त संसाधन जुटाए जाए और उपयुक्त योजनाएं चलाई जाएं। इसके साथ–साथ, बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को, स्वयं या सरकारी सहायता से, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और सामाजिक कल्याण सेवाओं के विकास का असर मिलता रहेगा। भारत में स्वयंसेवी कार्य की परंपरा रही है। राज्य का प्रयास स्वयंसेवी कार्य को बढ़ावा देने और मजबूत बनाने का होगा ताकि राज्य के और स्वयंसेवी प्रयास एक–दूसरे के पूरक बन सकें। बाल कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने तथा इनके विकास के लिये स्वयंसेवी संगठनो, न्यासों, कल्याणकारी तथा धार्मिक संस्थाओं के संसाधनों का हर संभव इस्तेमाल किया जाएगा।

2.2.5 विधायी और प्रशासनिक उपाय

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये राज्य आवश्यक विधायी तथा प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराएगा। विस्तृत हो रहे कार्यक्रमों की जरूरतें पूरी करने तथा सेवाओं की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिये अनुसंधान–कार्य तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण की सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

2.3 संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता 1989

बच्चों के संरक्षण और सुसंगत विकास के लिए प्रत्येक राष्ट्र की परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों का पूरा ध्यान रखते हुए प्रत्येक देश में, खास तौर से विकासशील देशों में, बच्चों के जीने की स्थितियों में सुधार के काम में अंतराष्ट्रीय सहयोग के महत्व को समझते हुए, दुनिया के 164 देशों ने संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में तैयार किए गए 54 अनुच्छेदों के मसौदे पर सभी देश सहमत हुए और 20 नवम्बर 1989 को यह 'संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता' पारित किया गया था। इस समझौते पर, भारत सरकार ने 11 दिसम्बर 1992 को अपनी सहमति प्रदान की एवं उस दिन से समझौते के सभी प्रावधान हमारे देश में लागू है।

इस समझौते के 3 भाग हैं, जिसके भाग–1 में 1–41 अनुच्छेद हैं जिनमें बच्चों के अधिकार एवं राज्य के कर्तव्यों संबधित प्रावधान हैं। भाग–2 में 42–45 अनुच्छेद शामिल हैं जिनमें समझौते में निर्धारित दायित्वों की प्राप्ति में सफलता की जांच के लिए समिति गठन एवं समझौते में शामिल देशों द्वारा मान्य अधिकारों को लागू करने में हुई प्रगति प्रतिवेदन देने व समझौते में शामिल देशों में बाल अधिकारों के प्रभावी कियान्वयन के लिए 'समिति' द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा को सुझाव देने संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भाग–3 में 46–54 अनुच्छेद हैं जिसमें इस समझौते पर सहमति प्रदान करने वाले देश में लागू होने, आपत्ति लगाने, समझौते को नामंजूर करने, समझौते में कोई संशोधन होने और उसके लागू होने के बारे में प्रावधान किए गए हैं।

भाग–1 में शामिल प्रमुख अनुच्छेदों में बच्चों के विभिन्न अधिकारों संबधित हमारे दायित्व–

- हमारा दायित्व है कि हम बच्चों को उनके अधिकारों से अवगत कराए {अनु. 42}
- कोई बच्चा कौन है, कहां रहता है, उसके अभिभावक क्या करते है, वह कौनसी भाषा बोलता है, किस धर्म को मानता है, वह लड़का है या लड़की, किस संस्कृति में वह पला बढ़ा है, वह विकलांग है, गरीब है या अमीर, **इन बातों को विचार में न लाते हुए, हमारा दायित्व है कि हम बच्चों को प्रदत्त अधिकारों का सम्मान करें एवं सुनिश्चित करें कि** बच्चे उन सभी अधिकारों का आनंद ले सके।{अनु. 2}
- प्रत्येक बच्चे को स्वतंत्रतापूर्वक रूपकों, विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है जिन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए और हमारा दायित्व है कि हम बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनें {अनु. 12, 13}

- बच्चे गलतियां कर सकते हैं और हमारा दायित्व है कि हम उन्हें स्वीकार करें क्योंकि बच्चे गलतियां करके सीखते हैं। {अनु. 40}
- बच्चे की योग्यताएं चाहे जो भी हो, उसे उसी रूप में समाहित किया जाना चाहिए और हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम दूसरों की विभिन्नताओं का सम्मान करें। {अनु. 23}
- बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और यह हमारा दायित्व है कि हम सभी बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करे। {अनु. 23, 28, 29}
- बच्चों को स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल प्राप्त करने का अधिकार है और हमारा दायित्व है कि हम बच्चों के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल व स्वच्छ जल उपलब्ध कराने में मदद करे। {अनु. 24}
- बच्चों को अच्छे पोषण का अधिकार है और हमारी यह जिम्मेदारी है कि बच्चों को भूख से बचाए। {अनु. 24}

- बच्चों को स्वच्छ वातावरण (में जीने) का अधिकार है और हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम उसे प्रदूषित न करें। {अनु. 24}
- बच्चों को खेलने और आराम (करने) का अधिकार है। हमारा दायित्व है कि बच्चों के खेल व आराम का ध्यान रखे {अनु. 31}
- बच्चों को प्यार किए जाने तथा मारपीट एवं शोषण से सुरक्षा का अधिकार है और हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को प्यार करे और उनकी देखभाल करे। {अनु. 19}
- बच्चे को एक परिवार और सुरक्षित व आराम दायक घर का अधिकार है। हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को उसके 'परिवार' और 'घर' से मिलाना सुनिश्चित करे। {अनु.9, 27}
- बच्चों को अपनी विरासत और विश्वासों पर गर्व करने का अधिकार है, हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम दूसरों की संस्कृति एवं विश्वास का सम्मान करे। {अनु. 29, 30}
- बच्चों को हिंसामुक्त तथा शारीरिक दंड रहित (मौखिक, शारीरिक, भावनात्मक) जीवन (जीने) का अधिकार है, हमारी यह जिम्मेदारी है कि वे दूसरो के प्रति हिंसात्मक न हो। {अनु. 2, 28, 37, 39}
- बच्चों को आर्थिक व लैंगिक शोषण से सुरक्षा प्रदाय किए जाने का अधिकार है। हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम सुनिश्चित करे कि किसी भी बच्चे को काम करने के लिए बाध्य न करें तथा बच्चों को मुक्त एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। {अनु. 32, 34}

संयुक्त राष्ट्र संघ समझौते में मान्य बच्चों के प्रदत्त अधिकारों को प्रमुख 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है जो निम्नानुसार हैं–

2.3.1 *जीने का अधिकार*

- बच्चे को जन्म लेने का,
- स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर की प्राप्ति का,
- पोषाहार पाने का
- मानव के जीवन के लिए आवश्यक उचित जीवन स्तर प्राप्त करने का
- एक नाम रखने और राष्ट्रीयता धारण करने का

जीने के अधिकार का प्रत्यक्ष संबंध किसी भी देश मे बच्चों के लिए आवश्यक मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता से है क्योकि उचित स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं के बगैर बच्चे का जीवन सुरक्षित नही रह सकता। यह सुविधा केवल बच्चे को ही नही अपितु उसकी मॉ को प्रसव से पूर्व व पश्चात् मिलना अत्यंत आवश्यक है।

2.3.2 *विकास का अधिकार*

- प्रत्येक बच्चे के लिए समुचित शिक्षा
- बचपन के दौरान समुचित देखभाल, सामाजिक सुरक्षा मनोरंजन तथा सांस्कृतिक गतिविधियों की व्यवस्था

विकास के अधिकार को सर्वाधिक शिक्षा से जोड़कर देखा जाता है, क्योकि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे बच्चे का मानसिक, शैक्षणिक तथा शारीरिक विकास संभव होता है। 6–14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे चाहे वह लड़का हो या लड़की, को शिक्षा निःशुल्क रूप से दी जानी चाहिए।

2.3.3 *सुरक्षा का अधिकार*

- बच्चे को शारीरिक व मानसिक हिंसा,
- चोट अथवा उपेक्षाजनक व्यवहार,
- दुर्व्यवहार, शोषण (यौन शोषण) एवं
- नशीली दवाओं का सेवन आदि समस्त प्रकार के कारणों से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है।

2.3.4 *सहभागिता का अधिकार*

- प्रत्येक बच्चे के दृष्टिकोण के प्रति सम्मान
- विचार व्यक्त करने की आजादी
- विवेक और धर्म के प्रति सम्मान
- ऐसे अधिकार अभियुक्त बच्चों को भी प्राप्त है। ऐसी स्थिति में बच्चे से न्यायिक व प्रशासनिक कार्यवाही के दौरान, राष्ट्रीय कानून के नियमों के तहत् स्वयं या किसी प्रतिनिधि अथवा संस्था के माध्यम से अपनी बात कहने का अवसर दिया जायेगा।

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते का सार

- बच्चों के उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, कुशलता और सर्वोत्तम लाभ को सर्वोपरि माना जाए
- उनकी कुशलता और उनका विकास सुरक्षित और प्रवर्तित किया जाए जिससे वे पूर्ण सशक्तता प्राप्त कर सके
- उन्हें उनकी संस्कृति, धर्म और जातीयता के संदर्भ में समझा जाए एवं महत्व और आदर दिया जाए और उपरोक्त संदर्भो व जहाँ संभव हो उनके परिवार के संदर्भ में उनकी आवश्यकताओं को पहचानकर, उनकी पूर्ति की जाए।
- उन्हें सुना जाए और उनके दृष्टिकोण को सावधानी पूर्वक महत्व दिया जाए तथा उन मुद्दों से संबंधित निर्णयों में सहभागिता के लिए उन्हें प्रोत्साहन पाने का अधिकार है जो उन्हें प्रभावित करते

2.4 *बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा संबधित प्रचलित कानून*

बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र संघ समझौते में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा माना गया है। भारत सरकार ने किशोर न्याय अधिनियम (संशोधित) 2006 लागू कर, 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों की सुरक्षा, देखभाल व पुर्नवास संबधित राज्य की जिम्मेवारी निश्चित की है। *किशोर न्याय अधिनियम के अलावा हमारे देश में बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने वाले अन्य कानून अलग–अलग आयु के बच्चों को सुरक्षा प्रदान करते है। जैसे बालविवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929 (2006 में संशोधित) भी 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष के कम आयु लड़के के विवाह पर प्रतिबंध लगाता है। कारखाना अधिनियम 1952 में 16 साल से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम पर लगाये जाने की मनाही है। बालश्रम प्रतिबंध व विनियमन अधिनियम 1986, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से बालश्रम कराये जाने पर प्रतिबंध लगाता है। अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम 2009, 6–14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (विनियमन एवं दुरूपयोग निवारण) अधिनियम 1994, जो वर्ष 2003 में संशोधित करने के बाद गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिशेध) अधिनियम (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम के नाम से जाना जाता है, गर्भस्थ शिशु को सुरक्षा प्रदान करता है।*

2.4.1 बाल श्रम (निषेध एंव विनियमन) अधिनियम–1986,

यह कानून 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम (खतरनाक कामों की सूची दी गई है) में लगाने पर प्रतिबंध लगाता है एवं कानून का पालन न करने वाले (माता–पिता, कर्मचारी, नियोक्ता आदि)

को दंडित किए जाने का प्रावधान करता है। इसके अलावा यह कानून 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों से काम कराने वाले नियोक्ताओं पर बच्चों के पक्ष में कानूनी शर्तें लगाता है।
बच्चों को इन शर्तो पर काम पर रखा जा सकता है–

- बच्चों से 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता है ।
- एक साथ तीन घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता है ।
- रात के 7 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच उनसे कोई भी काम नहीं लिया जा सकता है ।
- सप्ताह में उन्हें कम से कम एक दिन की छुटटी दी जाना चाहिए।

सजा कानून का उल्लंधन करने वाले व्यक्तियों को निम्न प्रकार की सजा दी जावेगी–

- कम से कम तीन महिने की सजा
- एक साल से अधिक की सजा के साथ 20 हजार रूपये का जुर्माना
- जुर्माना की राशि बढ़ भी सकती है

2.4.2 कारखाना अधिनियम 1948

कारखानों में 16 साल से कम उम्र के बच्चों काम कराना अपराध है। 16 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चो से प्रशिक्षणार्थी के रूप मे काम कराना भी अपराध है। अधिनियम की धारा 99, 27 में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाना अपराध है।

सजा नियोक्ता को 500 से 1000 रूपये का जुर्माना किया जावेगा। माता पिता अथवा बच्चा जिसके संरक्षण मे काम करता है या जिसे कार्य का लाभ देता है, पर भी जुर्माना किया जा सकता है

2.4.3 मोटर परिवहन मजदूरी अधिनियम 1961

14 साल से कम उम्र के बच्चों को मोटरगाड़ी पर रोजगार में लगाना अपराध है।

सजा– **धारा 3, धारा 22, धारा 33 के तहत** नियोक्ता को 6 महीने की सजा व आर्थिक जुर्माना किया जा सकता है।

2.4.4 मजदूरी अधिनियम 1933

कोई कर्मचारी बच्चों के माता पिता से बच्चों को काम पर लगाने के लिए अनुबंध करे, दण्ड के बहाने बच्चे से मजदूरी करवाना अपराध है।

सजा धारा 3, धारा 5, धारा 6 के तहत बच्चों को काम पर लगाने में अनुबंध करने वाले नियोक्ता को 2000 रूपये का जुर्माना किया जावेगा।

2.4.5 बालक (श्रम गिरवीकरण) अधिनियम–1933

बालक श्रम को गिरवी करने के करार से आशय लिखित या मौखिक करार है, जिसके द्वारा बालक के माता–पिता या सरंक्षक कुछ राशि या सुविधा के बदले में उसे किसी को काम करने के लिए सौंपता है। इस अधिनियम में बालक का अर्थ 15 वर्ष से कम आयु का बालक है। इसके लिए बालक के माता,

पिता, संरक्षक और करार करने वाले व्यक्ति को सजा देने का प्रावधान है । बालक के श्रम को गिरवी करने का करार शून्य होगा ।

2.4.6 संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम–1890 (गार्जियन एण्ड वॅाड्‍र्स एक्ट)

माता पिता के जीवित न रहने पर या माता पिता का तलाक हो जाने पर बच्चों का लालन–पालन किसके द्वारा होगा, यह तय करने के लिए गार्जियन एण्ड वॉड्‍र्स एक्ट के नाम से कानून बनाया गया है। तलाक के बाद अगर बच्चा छोटा है तो मां को कानूनी अधिकार है कि सात साल का होने तक बच्चा उस के पास रहेगा। पांच साल की उम्र के बाद बच्चा किसे पास रहेगा इस बात का फैसला अदालत बच्चे के हित को ध्यान में रखते हुए लेगी बच्चे का हित अगर मां के पास रहने में हो तो बच्चे को मां के पास रहने दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में बच्चा चाहे पिता के पास न रहता हो तो भी पिता को उसका खर्चा पानी देना होगा। न्यायालय नाबालिग बच्चों के शरीर व संपत्ति की सुरक्षा के लिए संरक्षक नियुक्त कर सकती है जो अदालत के प्रति जवाबदार रहता है ।

2.4.7 बाल विवाह प्रतिबंध 1929 (वर्ष 2006 में संशोधित)

21 साल से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम उम्र की लड़की का विवाह बाल विवाह कहलाता है। ऐसा करना कानूनन जुर्म है। 18 साल से ऊपर का परंतु 21 साल से कम उम्र का लड़का यदि 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो उसे 15 दिन की कैद या 100 रूपए तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। 21 साल से ज्यादा उम्र का लड़का अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करता है, तो उसे तीन माह की कैद और जुर्माना भी हो सकता है।

सजाः अधिनियम की धारा 4, 5 एवं 6 के तहत वर, माता–पिता या रिश्तेदार, पंडित जो भी बाल विवाह के लिए जिम्मेवार हो, 2 साल की कैद और 1 लाख रूपये का जुर्माना हो सकता है।

2.4.8 हिन्दु अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम–1950

जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम हो, उसकी सम्पत्ति या शरीर दोनों की देखरेख करने वाला व्यक्ति संरक्षक कहलाता है। ऐसा संरक्षक नैसर्गिक (माता–पिता), माता–पिता की इच्छा–पत्र (विल) द्वारा नियुक्त न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित तथा प्रतिपाल्य अधिकरण से संबधित अधिनियम के द्वारा सशक्त व्यक्ति होता है।

क. किसी लड़के या अविवाहित लड़की की दशा में पिता और उसके पश्चात माता परन्तु पॉच वर्ष की आयु तक उसकी अभिरक्षा मामूली तौर पर माता के हाथ में होगी ।

ख. जारज लड़के या जारज कुआरी लड़की की दशा में माता और उसके बाद पिता।

ग. विवाहित लड़की की दशा में पति / *विधि विभाग*

2.4.9 हिन्दु दत्तक और भरण पोषण अधिनियम–1956

अब कोई भी हिंदु विधवा, तलाकशुदा या कुआंरी महिला किसी भी हिन्दु बच्चे को गोद ले सकती है। गोद लेने वाली महिला / पुरूष का स्वस्थ चित्त होना, उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए।

यदि महिला शादीशुदा है तो उसका पति ही गोद ले सकता है, वह नहीं। किन्तु यदि उसका पति पागल है, हिन्दु नहीं रहा है, सन्यासी हो चुका है तो महिला को बच्चा गोद लेने की अनुमति है।

परन्तु बच्चाः–

- हिन्दु होना चाहिए, चाहे वह लड़का हो या लड़की
- पहले उसे किसी ने गोद नहीं लिया हो,
- उसकी उम्र 15 वर्ष से कम हो,

गोद लेने वाले और जिसे गोद लिया जा रहा है, उनकी आयु में 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए

भरण पोषण

- जायज और नाजायज नाबालिग (18 साल से कम उम्र के) बच्चों को माता पिता से खर्चा मिलने का हक है।
- भरण पोषण का अर्थ भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और इलाज है।
- अविवाहित पुत्री की दशा में उसके विवाह के युक्तियुक्त व प्रसांगिक व्यय भी आते हैं

2.4.10 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम–1956

18 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति जो जानबूझकर (किसी अन्य व्यक्ति) की वैश्यावृत्ति की आय पर पूर्णतः या भागतः जीवन निर्वाह करेगा उसे दो वर्ष तक की जेल या जुर्माना या दोनों सजा हो सकेगी। यदि जहॉ ऐसी आय किसी बालक (16 से 18 वर्ष की आयु) की वैश्यावृत्ति से संबंधित है, वहॉ कम से कम सात साल की अवधि के लिए जेल की सजा होगी। कोई व्यक्ति वैश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को उपाप्त (चतवबनतपदह ध् पदकनबपदह वत जांपदह) करने, उत्प्रेरित करने या ले जाने के मामले में, ऐसे मामलों में, यदि वह बालक है तो ले जाने वाले दोषी व्यक्ति को कम से कम सात साल की अवधि के लिए कठोर कारावास होगा, किन्तु जो आजीवन भी हो सकेगा। अवयस्क की स्थिति में सात से 14 साल तक की कठोर कैद की सजा हो सकेगी ।

2.4.11 किशोर न्याय अधिनियम–2006

इस कानून में 18 वर्ष तक की आयु के किसी उपेक्षित या अपचारी किशोर (लड़का या लड़की) को बोर्ड या किशोर न्यायालय के आदेश पर किशोर गृह, विशेष गृह या संप्रेक्षण गृह में रखकर उनके पालन पोषण, संरक्षण, देखभाल, शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है ।

महत्वपूर्ण धारांए

धारा 21ः – इस अधिनियम के अंतर्गत विधि के साथ विरोध में किशोर की किसी जांच को समाचार पत्र पत्रिका या दृश्य के माध्यम से कोई भी रिर्पोट, किशोर का नाम, पता या विद्यालय का नाम या उस बालक की तस्वीर को प्रकाशित करता है तो उसे 25 हजार तक का जुर्माना हो सकता है। (संशोधित अधिनियम, 2006)

धारा 23ः– किशोर या बालक के प्रति क्रूरता करने के लिए दण्ड– अगर कोई भी किसी किशोर या बालक को अनावश्यक मानसिक या शारीरिक कष्ट पहुॅचाता है, किशाोर पर हमला, परित्याग करता है उसे छः महीने के कारावास, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 24ः – भीख मांगने के लिए किशोर या बालक का नियोजन– यदि कोई किसी बच्चे से भीख मंगवाता है, तो उसे एक साल तक की सजा या जुर्माना देय होगा।

धारा 25ः – बालक या किशोर को मादक शराब या स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ देने के लिए शास्ति– अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को किसी लोक स्थल में शराब या किसी स्वापक औषधि को देता है तो उसे एक वर्ष या अधिक का कारावास या जुर्माना हो सकता है।

धारा 26ः – किशोर या बालक कर्मचारी का शोषण– अगर कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे से जबरदस्ती या उसकी मर्जी के बिना काम करवाता है तो उसे तीन वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना देना होगा।
धारा 27ः – विशेष अपराध– धारा 23, 24, 25, 26 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होंगे।

पुलिस विभाग हेतु दिशा निर्देश

क्र0	क्या करें	क्र0	क्या न करें
1	पुलिस अधिकारी किशोरों को अभिरक्षा में लेने के सिवाय, केवल सादे वस्त्र न कि यूनीफार्म पहनेगें। नियम 41 5 (ज)	1	लिखित में एवं बोलचाल में रिमाण्ड, आरोपी, चार्जशीट, फरार, अपराधी, बच्चा जेल के उपयोग से बचा जावे।
2	विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लेते ही उसे विशेष किशोर पुलिस एकक या अभिहित पुलिस अधिकारी के प्रभार में रखा जावेगा। धारा 10 (1)	2	विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर हेतु अपचारी बालक शब्द का उपयोग न किया जावे।
3	जहां कोई किशोर गिरफ्तार किया जाता है उस थाने का या विशेष किशोर पुलिस एकक का भारसाधक अधिकारी तत्काल किशोर के माता पिता, संरक्षक एवं संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को सूचना देगा। धारा 13 (क) (ख)	3	किसी भी परिस्थिति में किशोर को थाने की जेल में निरुद्ध न किया जायेगा। नियम 10 (2)
4	ऐसे किशोर को जो जमानतीय या अजमानतीय अपराध में लिप्त हो, को गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है। अगर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तब किशोर को प्रतिभूति सहित या रहित जमानत पर छोड़ा जावेगा। धारा (12)	4	परंतु यदि किशोर को उस परिस्थिति में जबकि जमानत पर छोड़ने में उसका संपर्क किसी अपराधी से होने अथवा नैतिक, शारीरिक का मनोवैज्ञानिक रूप से शोषण होने की संभावना हो जमानत पर नहीं छोड़ा जावेगा। धारा (12)
5	पुलिस अभिरक्षा में लेने के पश्चात् किशोर को सक्षम अधिकारी के समक्ष 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत किया जावेगा। विलंब की दशा में ऐसा नही करने संबंधी ब्यौरे पुलिस दैनदिनी समस्त डायरी में उल्लिखित किया जावेगा। नियम 9 (6)	5	किशोर को विशेष किशोर पुलिस एकक या अभिहित पुलिस अधिकारी के प्रभार में लेने के पश्चात् उस थाने के थाना प्रभारी कोई हस्तक्षेप नही करेंगे।
6	किशोर की तलाशी में प्राप्त राशि/वस्तुओं को पंजी में दर्ज किया जाये तथा बालिकाओं की तलाशी	6	किसी भी परिस्थिति में किशोर को हथकड़ी नहीं लगायी जावेगी। नियम 10 (3)

क0	क्या करें	क0	क्या न करें
	महिला पुलिस द्वारा की जावे।		
7	किशोर संप्रेक्षण गृह में प्रवेशित कराने तक विशेष पुलिस एकक या पुलिस किशोर की सुरक्षा एवं सलामती हेतु उत्तरदायी होगी। नियम 9 (10)	7	विधि का उल्लंघन करने वाले किसी किशोर के बारे में किसी जांच की रिपोर्ट, किशोर का नाम, पता, फोटो विद्यालय का पता या अन्य जानकारी किसी समाचार पत्र, पत्रिका या दृश्य माध्यम से प्रकाशित नहीं की जायेगी। धारा–21 (1)
8	विशेष गृह या संप्रेक्षण गृह से निकल भागे किसी विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट के प्रभार में ले सकेगा तथा यथास्थिति उसी विशेष गृह/संप्रेक्षण गृह या उस व्यक्ति जिसकी देखरेख में वो था को वापस किया जायेगा तथा किशोर के विरूद्ध ऐसे से भाग निकलने के कारण कोई कार्यवाही संस्थित नही की जाएगी। धारा–22	8	पुलिस द्वारा गिरफ्तार किऐ गये किसी किशोर को उसकी पसंद के किसी व्यक्ति को फोन पर या अन्यथा बुलाने के उसके अधिकार को पूरा करने के लिए समस्त संभव सहायता दी जायेगी। नियम 9 (8)
9	किशोर को ऐसे किसी वयस्क व्यक्ति के साथ किसी अपराध के लिए आरोपित या विचारित निर्धारित नहीं किया जायेगा। धारा 18 (1)	9	किशोर को किसी भी प्रकरण में संस्वीकार (कन्फेस) करने या परिसाक्ष्य देने के लिए बाध्य या यातना नहीं दी जावेगी। नियम 9 (9)
10	संबंधित पुलिस अधिकारी बालक के मित्र की भूमिका निभायेगा तथा बालक के संबंध में पुलिस इकाई के सामाजिक कार्यकर्त्ता के साथ घनिष्ट सामंजस्य से कार्य करेगा। नियम 9(3)	10	किसी भी स्थिति में बालक को अनावश्यक रुप में नहीं रखा जा सकेगा तथा शीघ्रातिशीघ्र संप्रक्षण गृह में प्रवेशित कराया जायेगा।

2.4.12 गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिशेध) अधिनियम (पीसीपीएनडीटी) 2003

प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (विनियमन एवं दुरूपयोग निवारण) अधिनियम 1994, जो वर्ष 2003 में संशोधित करने के बाद गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिशेध) अधिनियम (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम के नाम से जाना जाता है, गर्भस्थ शिशु को सुरक्षा प्रदान करता है। भुण के लिंग चयन पर प्रतिबंध लगाता है।

सजा– कोई भी व्यक्ति जो की प्रावधानों का उल्लंधन करेगा उसे तीन वर्ष तक का कारावास व दस हजार रूपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। साथ ही गर्भवती महिला को उसके पति या

रिश्तेदार द्वारा प्रसूति पूर्व जांच के लिए विवश करने पर उन्हें भी इतनी ही सजा हो सकती है। इस अधिनियम के तहत राज्य शासन द्वारा संचालक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सक्षम अधिकारी बनाया गया है।

2.4.13 शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण, बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम–1992

<u>कोई भी व्यक्ति</u>

क. शिशु दुग्ध अनुकल्प या पोषण बोतलों के वितरण, विक्रय या प्रदाय के लिए विज्ञापन नहीं करेगा या किसी विज्ञापन के प्रकाशन में भाग नहीं लेगा।

ख. किसी भी रीति से ऐसी धारणा या विश्वास पैदा नहीं करेगा कि शिशु दुग्ध अनुकल्प का पोषण माता के दूध के समान या उससे बेहतर है।

ग. ऐसी वस्तुओं के उपयोग या बिक्री बढ़ाने में भाग नहीं लेगा।

2.4.14 मानवाधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1993

मानवाधिकारों की रक्षा के लिए नागरिकों के लिए व्यवस्था दी गई है। विभिन्न प्रावधान बनाए गए है। इस कानून में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए आयोग की जिम्मेवारी एवं नागरिक सहायता पाने के बारे में प्रावधान हैं।

2.4.15 जनशिक्षा अधिनियम 2002

मध्यप्रदेश में शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 2002 में जनशिक्षा अधिनियम लागू किया गया जिसके नियम वर्ष 2003 में जारी किए गए। यह अधिनियम 5–14 आयु समूह के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, बच्चों व शिक्षकों के अधिकार, प्रायमरी व मिडिल स्कूलों तक सभी बसाहटों के बच्चों की पहुंच, आरंभिक शिक्षा एवं स्कूल संचालन में पालकों की जिम्मेवारी संबधित प्रावधान हैं। यह अधिनियम बच्चों के साथ शिक्षकों के मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने एवं शारोरिक दंड की वर्जना पर जोर देता है।

2.4.16 अनिवार्य व निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार कानून 2009

6–14 आयु के बच्चों को अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा के मौलिक अधिकार संबधित यह अधिनियम वर्ष 2009 में कानून पारित किया गया एवं फरवरी 2010 में अधिसूचना जारी की गई। अब यह कानून मध्यप्रदेश सहित पूरे देश में 1 अप्रैल 2009 लागू है। इस कानून में मूलतः बच्चों के शिक्षा के मौलिक अधिकार, स्कूली व्यवस्था के संचालन के तरीकों, समानतायुक्त व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षकों के बच्चों के प्रति कर्तव्य, उनकी नियुक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी स्कूलों में सरकारी खर्च पर कक्षा–8 तक की शिक्षा पाने संबधित प्रावधान है। यह अधिनियम बच्चों को शारीरिक दंड से बचाता है एवं स्कूल में केपीटेशन फी पर प्रतिबंध लगाता है। सभी बच्चों को कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी करने तक (उम्र भले ही 18 वर्ष हो जाय) स्कूल में दर्ज रहने की गारंटी देता है।

2.4.17 द पर्सन विथ डिसएबीलिटी एक्ट 1995

(समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूरी सहभागिता कानून)
यह कानून में कानून विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों की पहचान, आम व्यक्तियों की भांति विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को रोजगार के अवसर, विभिन्न संस्थाओं में दी जाने वाली सुविधा स्थापित

करने एवं केंद्र व राज्य स्तर पर सरकार की जिम्मेवारी तय करता है। कानून का मकसद है कि विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल होने एवं पूरी सहभागिता के अवसर मिले। उन्हें निर्बाध रूप से शिक्षा ग्रहण करने, आगे बढ़ने और रोजगार के अवसर देने की गांरटी करता है। आम व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं में, उनके लिए निश्चित हिस्सा आरक्षित करता है।

2.5 बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार संस्थांए व विभाग

2.5.1 महिला व बालविकास विभाग

विभाग की प्रमुख भूमिका

- प्रदेश की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना ।
- 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास तथा स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना, कुपोषण से बचाना

- महिलाओं के संवैधानिक हितों को सुरक्षित रखना, महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा से संबंधित कानूनों एवं विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना
- प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं व बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वयक की भूमिका निभाना ताकि योजना का लाभ हितग्राहियों तक पहुंच सके

2.5.2 स्कूल शिक्षा विभाग

विभाग की प्रमुख भूमिका

5–14 आयु समुह के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए स्कूल स्थापित करना, शिक्षकों की व्यवस्था करना, शिक्षकों का प्रशिक्षण, बच्चों के मूल्यांकन की व्यवस्था, एवं सभी बच्चों को शाला में नामांकित करना। बच्चों को छात्रवृत्ति, छात्रावास की व्यवस्था करना, स्कूलों का पर्यवेक्षण करना, स्कूलों का वातावरण समावेशी बनाना और सभी प्रकार के भेदभाव रोकने के लिए समुदाय एवं संस्था स्तर पर संवेदनशीलता बढ़ाना।

2.5.3 सामाजिक न्याय विभाग

विभाग की प्रमुख भूमिका

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभिन्न उपकरण, पेंशन, छात्रवृत्तियों का प्रबंध करना। किशोर न्याय अधिनियम को लागू कराना, 18 वर्ष तक की आयु के किसी उपेक्षित या अपचारी किशोर (लड़का या लड़की) को बोर्ड या किशोर न्यायालय के आदेश पर किशोर गृह, विशेष गृह या संप्रेक्षण गृह में रखकर उनके पालन पोषण, संरक्षण, देखभाल, शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था

2.5.4 स्वास्थ्य विभाग

विभाग की प्रमुख भूमिका

स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, इलाज, 0–5 आयु के बच्चों का टीकाकरण, स्वास्थ्य शिक्षा एवं मातृ व शिशु जिविता में वृद्धि के लिए आवश्यक सेवांए प्रदान करने, भ्रूण परीक्षण को निरूत्साहित करने, सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने संबधित सेवांए प्रदान करने, रोग प्रतिबंधात्मक उपायों एवं व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए जागरूकता बढ़ाने तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम का संचालन करना।

2.5.5 श्रम विभाग

विभाग की प्रमुख भूमिका

14 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी में लगाने से रोकना, बालश्रमिक व बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराना एवं उनका पुर्नवास करना। बालश्रम उन्मूलन हेतु बालश्रमिक बच्चों के लिए स्कूलों का संचालन करना। इंडस परियोजना के तहत स्कूलों का संचालन कराना, बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। संनिर्माण मजदूरों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना एवं शिक्षा का प्रोत्साहन करना। राष्ट्रीय बालश्रमिक पुर्नवास परियोजना अंतर्गत स्कूलों का संचालन करना।

2.5.6 पुलिस विभाग

किशोर पुलिस ईकाई का गठन करना एवं 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ, लावारिस, स्टीट चिल्ड्रन, हिंसा प्रभावित बच्चे, अपचारी, उपेक्षित व विकलांग बच्चों को ढूंढना एवं अपनी बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत करना। बंधुआ, बालश्रमिक बच्चों को मुक्त कराना एवं उनके पुनर्वास के लिए उन्हें संबधित संस्थाओं को सौंपना। किशोर बोर्ड के फैसले फैसले व सलाह पर बच्चों की घर वापसी/मां–बाप से मिलान की व्यवस्था करना।

2.5.7 न्यायालय

बच्चों के शोषण, भ्रूण परीक्षण, अनैतिक बाल व्यापार, कार्पोरल पनिशमेंट या बच्चों के किसी अधिकार की उपेक्षा के मामले संज्ञान में आने पर, जिम्मेवार संस्थाओं को कर्तव्य का स्मरण कराना एवं बच्चों के पक्ष में समुचित व्यवस्था बनाए जाने के लिए कानूनी आदेश जारी करना।

2.5.8 ग्रामीण विकास विभाग

प्राथमिक व मिडिल शालाओं में दर्ज बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का संचालन, मजदूरपेशा परिवारों के लिए आर्थिक आमदनी में वृद्धि के लिए '**मनरेगा**' का क्रियान्वयन, इंदिरा आवास योजना, पेयजल व स्वच्छता मिशन के लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग। विभाग द्वारा स्कूल व आंगनवाड़ी में शौचालय का निर्माण, सामुदायिक व गरीब परिवारों मे शौचालयों के निर्माण का काम कराया जाता है जिससे बच्चों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। ग्रामीण विकास विभाग मुख्यतः गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारकर बच्चों को परिवार में भरपूर भोजन, बालश्रम से बचाकर आराम तथा विकास के अवसर, स्कूल व आंगनवाड़ी में नामांकन को सुनिश्चित करने के लिए अनूकूल परिस्थिति निर्माण करने का काम करता है। महिलाओं के स्वसहायता समूहों के सशक्तिकरण की व्यवस्था करता है। महिला समूहों के सशक्त होने से बच्चों को विकास के पूरे अवसर मिलने की परिस्थितियां निर्मित होती है।

2.5.9 अनूसूचित जाति व जनजाति विभाग

विभाग की प्रमुख भूमिका

स्कूल जाने योग्य गरीब बच्चों के लिए छात्रावास, आश्रम शाला का निर्माण संचालन, छात्रवृत्ति प्रदाय करना, बालिकाओं के लिए साइकिल प्रदाय करना, उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, शैक्षिक भ्रमण, अनूसूचित जाति व जनजाति के लोगों पर अत्याचारों की रोकथाम करना, प्रभावितों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, कानूनी सहायता दिलाना

2.5.10 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

प्रमुख भूमिका

विभिन्न राज्यों में 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की सुरक्षा, देखभाल व विकास की स्थिति की समीक्षा, सरकारी नीतियों एवं कानूनों में बच्चों के हितों के संरक्षण हेतु ठोस प्रावधान बनाने, बजट उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न मंत्रालय व विभागों में पैरवी एवं अनुशंसा करना। विभिन्न राज्यों में बच्चों के अधिकारों की उपेक्षा, बच्चों पर अत्याचार संबधित शिकायतों को सुनना एवं सुनवाई कर बच्चों के हित में व्यवस्था देना।

2.5.11 राज्य बालअधिकार संरक्षण आयोग

प्रमुख भूमिका

राज्य में 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों की सुरक्षा, देखभाल, विकास एवं बाल सहभागिता की स्थितियों की समीक्षा, बेहतरी के लिए विभिन्न संस्थाओं और सरकार के साथ संवाद। इस आयोग में अध्यक्ष सहित 6 सदस्य हैं। प्रदेश में यह आयोग वर्ष 2010 में गठित किया गया है।

2.5.12 बाल कल्याण समिति (सी. डब्ल्यू. सी.)

प्रदेश के हर जिले में किशोर न्याय अधिनियम 2006 के तहत बाल कल्याण समितियां बनी है। इस समिति में सरकारी संस्थाओं के लोगों को सदस्य नही रखा जाता है। बच्चों के साथ काम करने वाले व उनके मुद्दों पर समझ रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता/समाज सेवियों को इस समिति का सदस्य बनाया जाता है। यह समिति सूचना मिलने या बच्चे को समिति के सम्मुख प्रस्तुत करने पर बच्चे के लिए आश्रय व सुरक्षा की व्यवस्था कराती है।

बच्चों संबधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क

महिला व बाल विकास विभाग

3 उद्देश्य–**कार्यपालिका के जिम्मेवार प्रतिनिधि एवं कर्तव्यधारक के रूप में बच्चों के प्रति उनकी तात्कालिक भूमिका को रेखांकित कर, बच्चों के सर्वोत्तम हित में उपलब्ध, कानूनी प्रावधानों और व्यवस्थाओं को उपयोग करने हेतु अभिप्रेरित करना।**

3.1 *सामाजिक हकीकत*

विभिन्न कानूनी प्रावधान एवं विभिन्न कर्तव्यधारक विभागों की मौजूदगी के बावजूद अनेकों बच्चे अपने अधिकारों से दूर हैं। समाज के ही लोग बच्चों को बेहद प्यार करते दिखाई देते हैं एवं वही लोग बच्चों की भावनाओं को आहत भी पहुंचाते दिखने लगते हैं। बच्चों के संबंध में सभी निर्णय मां–बाप या अभिभावक द्वारा कर लिए जाते हैं क्योंकि वे बच्चों को अपनी संपत्ति समझते है। कुछ अनपढ़ एवं गरीब

अभिभावकों के निर्णय के कारण बच्चों का बचपन दांव पर लगा दिया जाता है, बच्चों को बंधुआ कर देना, स्कूल छुड़ाकर बेटी का विवाह कर देना यह सब आज भी हो रहा है हमारे समाज में। इतना ही नही कुछ लोग बच्चों के संबंध में स्वयं निर्णय करके गलती करते हैं तो दूसरी तरफ कुछ पढें लिखे पैसे वाले लोग, उन्हें समझाने का प्रयास न करते हुए बच्चों पर ज्यादती की कार्यवाही में स्वयं भी भागीदार बन जाते है। चूंकि सरकारी कर्तव्यधारक भी इसी समाज का हिस्सा होते हैं इसलिए वे किसी को बच्चों के प्रति बड़ो की जिम्मेवारी याद नही दिलाते। परिणाम निम्नलिखित होते है–

- हमारे समाज में बच्चे गाली गुफ्तार (अपशब्द), भावनात्मक एवं शारीरिक हिंसा और शोषण का सामना करते हैं
- अपने आसपास नजर डालें तो आप देखेगें कि छोटे–2 बच्चे घरेलू नौकरी, पन्नी बीनने, कुंए से पानी निकालने, गाय भैंस चरवाई और होटलों पर काम कर रहे हैं व स्कूल जाने से वंचित हैं
- पास पड़ौस में आप यह भी देखते होगें कि कई बच्चे बंधुआ हैं एवं बालश्रम कर रहे हैं। बच्चों को घर में मां–बाप एवं स्कूल में शिक्षक की छड़ी का सामना करना पड़ता है
- स्कूल में बच्चों के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर आज भी भेदभाव होता है और समाज भी लड़कियों के साथ अनेक तरीको से भेदभाव करता दिखाई देता है
- कई बच्चे नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं एवं कई भीख मांगते नजर आते हैं।
- छोटी उम्र में विवाह कर देने से कई बच्चे स्वास्थ्य व विकास के अधिकार को खो चुके है।

पारंपरिक भूमिका

- आप उनके भाग्य को दोष देंगे?
- आप तर्क देंगे कि सभी को बचपन में इन सबका सामना करना पड़ता है और कुछ गलत नही है
- आप तर्क देंगे कि सामाजिक रिवाज व व्यवहार है इसलिए इसके बारे में कुछ नही किया जा सकता
- आप गरीबी को दोष देगें
- आप भ्रष्टाचार को दोष देंगे
- आप सबूत मिलने का इंतजार करेंगे और फिर कुछ करेंगे

3.2 बाल हित में हमारी भूमिका

बच्चे अधिकारों के संरक्षण का काम अकेले कोई नही कर सकता बल्कि पालक, समाज एवं सरकार सभी को अपना दायित्व पूरा कर, बच्चों को उनके अधिकारों को उपयोग में लाने के लिए अनूकूल परिस्थितियां प्रदान करनी होगी।

राज्य की जिम्मेवारी है कि बच्चों के अधिकारों का सम्मान करे, आवश्यक कानून बनाकर वित्तिय प्रावधान कर उन्हें पूरा करे। आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक योजना व कार्यक्रम बनाकर उन्हें लागू करे जिससे ऐसे परिवारों के बच्चे उचित पोषण स्तर को प्राप्त कर सके एवं स्वस्थ रहकर शिक्षा के अधिकार का उपभोग कर सके। बच्चों की वर्तमान स्थिति को अपने चारों ओर महसूस किया जा सकता है। बच्चे विभिन्न स्वरूपों में दिखाई पड़ते हैं, कोई बालश्रम करता नजर आ रहा है तो कोई अभिभावकों की ज्यादती का शिकार है।

आप इसी समाज के हिस्से हैं एवं कर्तव्य धारक के रूप में आप जिम्मेदार पद पर नियुक्त है। बच्चों की वर्तमान स्थिति को बदलने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ज्यादातर बच्चे समाज में उपेक्षित व्यवहार के कारण अपने नागरिक एवं विशेष हकों से दूर होते रहे हैं। यह सब हमारी व सरकार की असंवेदनशीलता के कारण हो रहा है। आप नीचे लिखी दो प्रकार की भूमिका निभा सकते हैं। एक जिम्मेदार कर्तव्यधारक होने के कारण, आपकी विशिष्ठ होगी।

3.3 विशिष्ठ भूमिका

- बच्चों की देखभाल व सुरक्षा के लिए स्वयं पहल करेगें

- बच्चों को आवश्यक सुविधा मुहैया कराकर, सुरक्षित व स्वस्थ वातावरण में रखना सुनिश्चित करेंगे
- बच्चों से बात करेंगे, उनके विचारों को सुनेगे
- बच्चे के परिवार में बात करेंगे और कहेंगे कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित, स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन बिताने का अधिकार है एवं पालकों की जिम्मेवारी है कि वे बच्चों की देखभाल करेगें
- आवश्यक हुआ तो बच्चे व उसके परिवार को मदद करेगें
- बच्चे के जीवन व समग्र विकास की राह में मौजूद खतरों को समझेगें/खोजेगें
- बच्चों को सुविधांए व सेवांए प्रदान करने वाले जिम्मेवार विभागों की जवाबदेही बढ़ाएंगे
- विद्यमान सुधार/सरकारी तंत्र को, आप एक प्रतिवेदन सौंपेगे

विभिन्न परिस्थितियां	किसे बताएं	क्या करे
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखा गया है	1. जिले में नियुक्त श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक 2. अनुविभागीय दंडाधिकारी	1. कार्य स्थल, बच्चों से श्रम कराने वाले व्यक्ति का नाम पता आदि बताएं 2. पुलिस बल की सहायता प्राप्त कर, बच्चे को बालश्रम से मुक्त कराए एवं प्राथमिकी दर्ज कराए
18 वर्ष से कम आयु की लड़की या 21 वर्ष के कम आयु के लड़के का विवाह कराया जा रहा है	1. जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी 2. नजदीकी पुलिस थाना	1. विवाह स्थल का पता बताते हुए, सूचित करे 2. उपरोक्त अनुसार
कोई बच्चा बस स्टेंड, रेल्वे स्टेशन या फुटपाथ में भीख मांग रहा है अथवा लावारिस दिखाई दे रहा है	1. जिले की बाल कल्याण समिति 2. स्थानीय स्वयंसेवी संस्था 3. चाईल्ड लाईन 1098 पर 4. किशोर पुलिस ईकाई	1. बच्चे को साथ लेकर बाल कल्याण समिति के सम्मुख प्रस्तुत करे 2. बच्चे को अकेला न छोड़े 3. बच्चे को सादी वर्दीधारी किशोर पुलिस को सौंपा जा सकता है
कोई माता–पिता / अभिभावक बच्चे को बुरी तरह पीटते हैं एवं उससे काम कराते हैं, भूखा रखते हैं	1. जिले की बाल कल्याण समिति 2. स्थानीय पुलिस थाना	1. बच्चे को पीटने से बचाए एवं अभिभावक के निवास का पता बताते हुए सूचना दे 3. पुलिस के आने तक रूके एवं बच्चे को सुरक्षा उपलब्ध कराए
किसी अस्पताल में लिंग(भ्रूण) परीक्षण किया जा रहा है	जिला स्वास्थ्य व चिकित्सा अधिकारी	क्लिनिक का नाम पता बताएं
स्कूल जाने योग्य कोई बच्चे, जिनके माता–पिता जीवित नही है एवं वे जिंदा रहने के लिए मजदूरी करते हैं या रिश्तेदार के घरों में काम करते हैं	1 जिला महिला व बालविकास अधिकारी 2 बाल कल्याण समिति	संभव हो तो पंचायत की मदद से बच्चे को जिला महिला व बालविकास अधिकारी के कार्यालय में मिलवाए जिससे उसे बाल संप्रेक्षण गृह में दाखिला कराया जा सके
18 साल से कम आयु के किशोर माता पिता/अभिभावक या अन्य बच्चों या किसी के साथ मारपीट करे, चोट पंहुचाए	किशोर पुलिस ईकाई को सूचित करे	बाल सुधार गृह में भर्ती किया जा सकता है जहां उसकी आदत में सुधार के प्रयास किए जावेगे
स्कूल के बच्चों को शारीरिक दंड दिया जाता है	1 शिक्षा प्रबंधन कमेटी 2 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	बच्चे को कमेटी से मिलवाए बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य से बात कराए
कोई व्यक्ति बच्चों को फुसलाकर, मां–बाप से दूर, अन्य स्थान पर लेकर जा रहा है	स्थानीय पुलिस	बच्चों की बिक्री, अपहरण, अनैतिक व्यापार संबधित प्रकरण दर्ज करा दें
कोई बच्चे के यौनांगों से छेड़छाड़ कर रहा है, शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है	स्थानीय पुलिस	सूचना दें एवं प्रकरण दर्ज कराए

3.4 बच्चों के हित में क्या किया जाना आवश्यक है

अपने आसपास बच्चों की स्थिति पर नजर डालें तो स्पष्ट होता है कि मां–पिता, पालक, समाज व सरकार स्तर पर बच्चों की देखभाल व सुरक्षा के लिए अभी ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। देश में लगभग 42 फीसदी जनसंख्या बच्चों की है एवं आज देश के विकास की योजना बनाते समय बच्चों पर विशेष ध्यान केंद्रित नही किया जाता बल्कि मां–बाप व पालकों की जिम्मेवारी समझकर, सरकार वयस्कों के विकास पर ज्यादा ध्यान देती है। जरूरी है कि मां–बाप व पालकों के अलावा समाज एवं सरकार सभी लोग अपने कर्तव्यों को निभाकर बच्चों की बेहतर सुरक्षा व देखभाल सुनिश्चित करते हुए उन्हें विकास के अवसर उपलब्ध कराए जिससे वे देश के बेहतर नागरिक बन सके।

क्या करे	क्या न करे
• बाल सहभागिता को प्रोत्साहित करे • बच्चों के विचार व सुझावों का सम्मान करे • बालश्रम को रोकने की पहल करे व किसी भी सूरत में बच्चों को शोषण से बचाए • अनाथ या लावारिस बच्चों की सूचना मिलने पर **चाईल्ड लाईन 1098** या किशोर पुलिस ईकाई को सूचना दें • घर या घर से बाहर बच्चों के विरूद्ध की जा रही हिंसा का विरोध करे और दुर्व्यवहार को रोके और आवश्यक हो तो बाल कल्याण समिति के सदस्यों को सूचित करे या संभव हो तो बच्चे को समिति के सुपुर्द करे • भीख मांगने वाले बच्चों व उनके पालकों को समझाए • 6 साल से कम उम्र के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र पर दर्ज करवाए • बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के **भेदभाव** की कार्यवाही को तत्काल रोके या रोकने के लिए पहल करे • भ्रूण का लिंग परीक्षण करने वाले संस्थानों एवं व्यक्तियों की सूचना मिलने पर जिला निगरानी समिति के सदस्यों में जिला स्वास्थ्य व चिकित्सा अधिकारी/स्वैच्छिक संस्था के प्रतिनिधि या नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें • बच्चों के साथ की जा रही यौन हिंसा का संज्ञान होने पर हस्तक्षेप करे एवं महिला व बालविकास विभाग या चाईल्ड लाईन या नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचना अवश्य दें • बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी जरूर दें	• बच्चों से काम कराने वाले किसी होटल या अन्य प्रतिष्ठानों के तर्कों का समर्थन करना • बच्चों को शारीरिक दंड देना या ऐसी किसी परिस्थिति का समर्थन करना, • बच्चों को अपने विचार रखने से रोकना • बच्चों के खेल के मैदान, स्कूल, आंगनवाड़ी परिसर में गंदगी फैलना • बच्चों के साथ मारपीट की घटनांए होने से रोके • विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को लंगड़ा, लूला, अंधा, काना, गूंगा, बेचारा कहकर उनका अपमान • सामाजिक कुरीतियों व बाल अधिकार विरोधी परम्पराओं का समर्थन • किसी भी कार्यदिवस में, निर्धारित समय से पहले, बिना कारण स्कूल व आंगनवाड़ी बंद रखे जाने की अनदेखी • स्कूल में मध्यान्ह भोजन व आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण में अनियमितता को नजर अंदाज करना • परिवार, समाज या संस्थाओं में बच्चों के विरूद्ध होने वाली हिंसा की अनदेखी • कपड़ा, बर्तन या घरेलू सफाई हेतु बच्चों को काम पर रखना • बालश्रमिक बच्चे द्वारा लायी गई चाय या खाना न खाएं • बालविवाह में शामिल न हों

5 महत्वपूर्ण दूरभाष व पते

म.प्र. के 50 जिलों में

किशोर न्याय बोर्ड (JJB)

व

बाल कल्याण समितियां (CWC)

म.प्र. में स्थापित किशोर न्याय बोर्ड (JJB) व बाल कल्याण समितियॉ (CWC)
जिलेवार संपर्क सूची

क.	नाम	पता	फोन नं.
		भोपाल	
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	श्री महेश सक्सेना	26/45, नार्थ टी.टी. नगर, भोपाल	0755–2777634 9893356798
2	डॉ के एस. दुबे	106, चिकलोद रोड, जहॉगीराबाद, भोपाल	9425028944
3	श्री प्रमोद दुबे	एमपीएएसआरटी कॉम्पलेक्स, जवाहर चौक, सीटी बस डिपो, भोपाल	
4	मनोज सूर्यवंशी	एसओएस बाल ग्राम, खजूरीकला, पोस्ट बॉक्स नं. 27, पिपलानी भोपाल	
5	सीमा अग्रवाल	अनिमेश ट्रेडर, 19–न्यू मार्केट	0755 255411
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	सावित्री पाण्डेय	ई–4/165, अरेरा कॉलोनी, भोपाल	0755 2466914
7	प्रभंजन बाघमारे	एम–324, गौतम नगर, गोविंदपुरा, भोपाल	0755 2586634, 9827007440
		शिवपुरी	
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	जितेन्द्र जैन	महल कॉलोनी, शिवपुरी	
2	गीता दीवान	कट्टमील/हैप्पी डेज स्कूल, शिवपुरी	
3	उषा मिश्रा	76, गांधी नगर कॉलोनी, शिवपुरी	
4	देवेन्द्र श्रीवास्तव		
5	सीताराम गोपाल	सदर बाजार, कोलारस, वार्ड–7, शिवपुरी	
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	मंजू गुप्ता	कलेक्ट्रेट के पीछे, शिवपुरी	
7	प्रहलाद भारती	भारती पुस्तक सदन, कोर्ड रोड शिवपुरी	
		गुना	
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	मनोज दुबे	गोपाल दाल के पास, अस्पताल रोड, गुना	
2	अर्जुन चतुर्वेदी	भार्गव कॉलोनी, गुना	
3	महेन्द्र सिंह धाकड़	गोयल भवन के पास, अस्पताल रोड, गुना	942513510
4	शर्मीली कोकाटे	137, बंगला एबी रोड,गुना	9827263110
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			

क्र.	नाम	पता	फोन नं.
5	सतीश कुमार अरोरा	आनंद बेकरी, बेकरी रोड, गुना	
6	अनसुईया रघुवंशी	वार्ड–4, जगदीश कालोनी, गुना	
ग्वालियर			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	प्रमिला बाजपेयी	10, कृष्णा विहार, थाटीपुर, ग्वालियर	
2	योगेन्द्र कुशवाहा	39, सरस्वती नगर एजी ऑफिस के पीछे, लश्कर, ग्वालियर	
3	सुभाष सोनी	रामकला नगर, माल रोड, मुरार ग्वालियर	
4	डॉ हेमा नलीनी	31, सत्यदेव नगर, गांधी रोड, 47/507, तकिया गली खाशम बाजार, लश्कर, ग्वालियर	0751 2231134
5	अल्का शुक्ला	47/507, तकिया गली खाशम बाजार, लश्कर, ग्वालियर	
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	त्रिमुक केलकर	12, हरिपद नगर, गांधी रोड	0751 2329594
7	अल्का शुक्ला	एफ–15, पुराना बंगला, थाटीपुर	0751 474011
जबलपुर			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	डॉ रवि फदनीस	1126, राईट टाउन, जबलपुर	0761 2312933
2	रूपा बनर्जी	332, बेस्ट धमापुर, रामकृष्णा कॉलोनी, जबलपुर	0761 2621982
3	गेपाल सेठ	43, किंग्स वे कैन्ट, जबलपुर	0761 2624688
4	राजकुमार पटेल	697, बेलदारपुरा, जवाहरगंज वार्ड	9425155449
5	मनीषा जैन	99/16, गढ़ फाटक, भेड़ाघाट	0761 2655320
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	शीरीष जमदार	जमदार, अस्पताल, गोल बाजार,	
7	शिवराम बैन	1110, फूटा ताल उर्दू स्कूल के पीछे, जबलपुर	
इन्दौर			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	स्नेहलता उपाध्याय	13–साउथ राज मोहल्ला, इन्दौर	
2	डॉ मुकेश बिडला	102–ऐश्वर्या अपार्टमेंट, 1/2, न्यू पलासिया, इन्दौर	0731 2522345
3	पूरन चंद माली	433, मालीपुरा, विजलपुर, इन्दौर	9425053832
4	वैध नितीन शुक्ला	3 जतरी कॉलोनी, रामबाग, इन्दौर	0731 2422660
5	कविता खोवाल	275, लाला का बगीचा, इन्दौर	0731 2549484

क्र.	नाम	पता	फोन नं.
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
7	देव सिंह राथेर	31/4 न्यूपलासिया, इन्दौर	0731–25541033
8	मेघमाला खानवरकर	16, हरसिद्धी, मैन रोड, इन्दौर	0731 2477471
श्योपुर			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	राम प्रसाद परंमा	डीट–8, न्यू चंबल कॉलोनी, श्योरपुरकला	0751 222464
2	पूरन चन्द गुप्ता	किला रोड, श्योपुरकला	
3	सीताराम जाट	सी/ओ बंसल कांट्रेक्टर, पाली रोड, श्योपुर	
4	सरीता कुशवाहा	कमला नगर एडवोकेट कॉलोनी के सामने, बायपास रोड, श्योपुर	
5	संगीता अग्रवाल	गोशाला के पास, श्योपुर	
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	प्रहलाद सिंह गुर्जर	काजी मौहल्ला बडोडा, श्योपुरकलां	
7	कविता अचार्य	वार्ड 11, बडोडा श्योपुर	07531 276572
मुरेना			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	लक्ष्मी नारायण सिंह	गांधी कॉलोनी, मुरेना	07532 232178
2	सुनीता अग्रवाल	अग्रवाल, रानातर दत्तापुरा, मुरेना	07532 250837
3	अमर बंसल	गोपी कटारा, सदर बाजार मुरेना	
4	रविन्द्र शर्मा	पंचम सिंह वालीी गली, गणेशपुरा, मुरेना	
5	डॉ अनर सिंह	प्रेस गली, सुभाष स्कूल , कैलारश	07536 287130
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	डॉ एकता तनडोतिया	हा. बोर्ड, लक्ष्मी कॉलोनी, मुरेना	07532232742
7	डॉ एस.एम.अग्रवाल	अग्रवाल नर्सिंग होम एस.पी. बंगला के पास मुरेना	07532 226572
खण्डवा			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	सुधीर बंसल	18, गोल बाजार, खण्डवा	0733 222886
2	पन्ना लाल गुप्ता	रेल्वे ओवर ब्रिज के पास, खण्डवा	0733 2225978
3	शीशीर गुप्ता	बुधवारा बाजार, खण्डवा	9425086454
4	प्रमोद तिवारी	गणेश तलाई, गणेश मंदिर के पास, खण्डवा	9826036942
5	ममता बोरसे	74,शास्त्री नगर, खण्डवा	0733 2249833
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	भरत झनावर		

क्र.	नाम	पता	फोन नं.
7	पद्मजा जोशी		
भिण्ड			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	गुलाब सिंह	38, इरार भवन, झांसी रोड, भिण्ड	07534 233634
2	श्याम महेश्वरी	हाऊसिंग कॉलोनी के पींछे, भिण्ड	07534 244158
3	रविन्द्र कुमार शर्मा		
4	राजकुमारी खण्डेलवाल	411, देव नगर कॉलोनीख भिण्ड	07534 233075
5	आशा सोनी	बिजली घर के पास, लाहर, भिण्ड	07534 252013
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	एस.के.दीक्षित	मेला गेट नं. 2, महावीर गंज, भिण्ड	9826253070
7	अल्का बाजपेयी	बनखण्डेश्वर मंदिर के पीछे, भिण्ड	230830
खरगोन			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	डॉ मोहन विभावसार	2, भावसार मोहल्ला, खरगोन	07282 250438
2	दुआलाल कृष्णा	11, श्री कृष्ण सदन, विश्वान रोड	07282 234061
3	विजय यशवंत शर्मा	एम.टी. 6/1, शिवशक्ति नगर	07282 241751
4	श्यामा गुप्ता	4 नूतन नगर, खरगौन	07282 232369
5	सविता तोमर	42, बेज कॉलोनी, बिट रोड, खरगौन	07282 233788
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	जी.पी महाजन	10, तलैया मार्ग, खरगौन	07282 232767
7	अंचला पालीवाल	121, कुआवा दरवाजा मार्ग, खरगौन	
बुरहानपुर			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	डॉ मेजर एम.के.गुप्ता	सिंधीपुरा, बुरहानपुर	0735 252151
2	दिनेश शाह	शनवारा जीन के पास,शनवारा गेट, बुरहानपुर	
3	माधुरी जोशी	सी/124, इंदिरा कॉलोनी, बुरहानपुर	
4	रामेश्वर मंत्री	अभिलाषा नगर, लालबाग, बुरहानपुर	
5	प्रेमलता अग्रवाल	औरावती रोड, शंकरश्री काम्पलेक्स, बुरहानपुर	
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
1	रजनी गुट्टानी	नारायणी विला, 2 अभिलाषा नगर, लाल बाग रोड, बुरहानपुर	
2	मनोज अग्रवाल	हरयाणा भवन, राजपुरा, बुरहानपुर	
हरदा			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	देवेन्द्र दुआ	हरदूल बाबा मन्दिर के पास, सुभाष	07577 222465,

क्र.	नाम	पता	फोन नं.
		वार्ड, हरदा	9826345460
2	चित्रा गर्दे	गांधी चौक, टीमरनी	07573 236415
3	राजेश अग्रवाल	अग्रवाल मेडिकल स्टोर, गांधी चौक सेराली, हरदा,	
4	गंगाधर पटेल	ग्राम +पोस्ट सेरानी, खिरकिया, हरदा	
5	मालती खण्डेलवाल	सुभाष वार्ड, हरदा	
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	विरेन्द्र अग्रवाल	मयूर पॉलीटेक्नीक, हंदिया रोड, हरदा	07577 224025
7	जयश्री मजुमदार	श्रीविला, नेहरू पार्क, नेहरू कॉलोनी, हरदा	07577 222317
झाबुआ			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	शैलेन्द्र दुबे	नेहरू मार्ग, झाबुआ	
2	गणेश उपाध्याय	राजोड़, झाबुआ	
3	संजय मिश्रा	विवेकानन्द नगर, झाबुआ	
4	अशोक त्रिवेदी	110, गोपाल कॉलोनी, झाबुआ	
5	भारती परमार	गोपाल कॉलोनी, लोबर ऑफिस, झाबुआ	
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	राजेन्द्र कु यादव	21, विवेकानंद कॉलोनी झाबुआ	
7	जया पटेल	ग्रामीण विकास ट्रस्ट, रामकृष्णा नगर, झाबुआ	
धार			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	दिलीप पटोदिया		
2	शैलेश पाठक		
3	राधेश्याम	विलेज मागोट, बंगला बदेदी, सरदारपुर, धार	07296 268450, 9752352777
4	ओमपाल सिंह ठाकुर	शंकर मंदिर मार्ग, बकनेर, सेलम नगर, धार	9301646668
5	संध्या मकवाने		
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	राजीव कुमार	63, जयप्रकाश मार्ग कुमार गद्दा, धार	
7	ममता नितीन पहारिया	अश्विनी नगर, खादी धार	
बड़वानी			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	सुभाष जोशी		
2	कमला डाबर		
3	विकास आर्या		

क.	नाम	पता	फोन नं.
4	ओम प्रकाश		
5	अमृत लाल		
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	हीरालाल पटेल	60 देवाशीष मार्ग, बड़वानी	9425992157
7	प्रेरणा प्रकाश जोशी		
उज्जैन			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	घनश्याम केवालिया	एम–200, व्यास नगर, ऋषि नगर एक्टेंशन, उज्जैन	9425915886
2	रितेष श्रोतिया	एल.आई.जी–59, मुनी नगर, उज्जैन	0734 2519400
3	विभाष उपाध्याय	68 रविन्द्र नगर, उज्जैन	07634 2516207
4	अरूणा श्रीवास्तव		
5	दिलीप भार्गव	इशाक बेग की चाल, पुलिस लाईन के पास, उज्जैन	0734 2511992, 9425380058
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	नलिनि लंगर	ई–1/1, आजाद नगर उज्जैन	0734–2513111
7	हर्षवर्धन पठान	43, महाश्वेता नगर, उज्जैन	0734–2510180
शाजापुर			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	राहुल देशमुख	22, ब्रम्हपुरी कॉलोनी, मंडी शाजापुर	9425921100, 9425084421
2	जे.पी. मण्डलोई		
3	ज्योति बाला		
4	गायत्री वर्मा		
5	ओमप्रकाश राठौर	दशहरा मैदान, बेरछा रोड	
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	अरूण भीमावत		
7	गायत्री विजयवर्गीय		
देवास			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	वहीदा रफीक	141 चन्द्रशेखर मार्ग, देवास	07272 222515
2	मीना पटवर्धन	263 कुसुमकुंज, नजरंगपुरा, देवास	07272 252350
3	संदीप नायक	55/सी, कलानी बाग, देवास	07272 252201
4	आशिफ शेख	14 मील रोड, पोस्ट बलग्रह	07272 253821
5	राधेश्याम सोलंकी	9 शिमला कॉलोनी, देवास	07272 225923
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	निर्मला चौहान	एल.आई.जी–114, जवाहर नगर देवास	

क्र.	नाम	पता	फोन नं.
7	एस.के.शुक्ला	प्रज्ञा भवन, 143, अल्कापुरी कॉलोनी, देवास	
		रतलाम	
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	हिम्मत गंगवाल	2 बरीबाल मोहल्ला, जावरा रतलाम	
2	अजय सिंह	43/20, मुगलपुरा, जावरा, रतलाम	9827073566
3	विनय	109 राजस्व पत्रकार कॉलोनी	9827259174
4	राजेन्द्र बोरा	38/1, थावरिया बाजार, रतलाम,	9827261873
5	मंगला दुबे	कर्तजू नगर, रतलाम	932931080
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	कमला जैन	51, नई सड़क, रतलाम	07412 232362
7	कांती जोशी	30, मोहन भवन, नेहरू मार्ग, सैलाना, जिला रतलाम	07412 257550
		मंदसौर	
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	राव विजय सिंह	24, नगरपालिका कॉलोनी	07422 221249
2	आर.एस.तोमर	1/2, शांति कुज, भगवान नगर	07422 221596
3	आदिल साहिद खान	नर्सेस क्वार्टर, महु–नीमच रोड , नादरा चौराहा, मंदसौर	
4	वेदप्रकाश मिश्रा	विवेकानन्द कॉलोनी, जनपद पंचायत के पीछे, मंदसौर	07422 243040
5	बबीता सिंह	शांति कुंज, भगवान नगर, रामटेकरी, मंदसौर	
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	बृजेश जोशी	1, भगवत कृपा जावा गंज, मंदसौर	9425107356
7	स्मीता मण्डलोई	ज्नसेवा मेडिकल स्टोर, नई आबादी, जशपुरकुंज, रोड मंदसौर	07422 406966
		नीमच	
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
8	विजय जैन	17, विजय भवन, महुभेद, नीमच	07423 221107
9	शाबद रहमान	बी–टीचर कॉलोनी, नीमच	9425328417
10	सुरेश चेलावत	महावीर बाग, सी.आर.पी. रोड, नीमच	07423 224507
11	श्याम नेरादी	श्याम एजेंसी , वीरपार्क रोड, नीमच	07423 221012
12	प्रतीक्षा काबरा	बंगला नं. 14 म.नं. 15, गंगा नगर	07423 220984
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
13	विष्णु शर्मा	446 (14/2) विकास नगर, विस्तार, नीमच	
14	साधना सेवक	26, स्कीम नं. 30, चौहान विला, नीमच	07423 257538

क्र.	नाम	पता	फोन नं.
मंडला			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	डॉ ए.डी. हक	रानी अवंती बाई, बस स्टैण्ड के पीछे, मण्डला	07642 250064
2	कु.निशा सिंह	ग्राम+पो0 समरखापा, मंडला	9301120646
3	सुनीता जगहेला	डी–कॉलोनी, मंडला	9826141328
4	प्रदीप खाबंदा	सुभाष वार्ड	076421 253687
5	ए.जी.खान	जवाहरगंज, मंडला	076421 250730
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	सरीता अग्निहोत्री	मृदु किशोर कॉलेनी	07642 481661
7	जी.एस.मरकम	जवाहर वार्ड नं0 19, मंडला	
डिण्डोरी			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	डॉ सुनील जैन	डिंडोरी	
2	सपना चौरसिया	गांधी चौक, डिंडोरी	
3	महेन्द्र लाल झारिया	ग्राम टीकरिया पो0 संग्रामपुर, ब्लॉक शाहपुरा, डिंडोरी	
4	मनोहर सिंह ठाकुर	ग्राम पालकी, पो.बरझा, डिण्डोरी	
5	अशोक अवधिया	डिण्डोरी	
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
	शिखा राय	वार्ड नं. 5 डिंडोरी	
	मंजीत खनुजा	खनुजा कॉलोनी, डिंडोरी	
सिवनी			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
6	एस.के.बजहल	महावीर वार्ड, सिवनी	07692 220406
7	डॉ विजय सरीन	दल सदन, सिवनी	07692 220634
8	मिथलेश शर्मा	एफसीआई गोदाम गेट के पास, छिन्दवाड़ा चौक, सिवनी	
9	अशोक कुमार सोनी	सुभाष वार्ड, सुनारी मोहल्ला सिवनी	07692 224198
10	आरती शुक्ला	न्यू हाउसिंग बोर्ड समता नगर कॉलोनी, बड़ा पत्थर, सिवनी	07692 220345
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
11	विनोद कुमार कौशल	महावीर वार्ड, जिला स्कूल के पास, सिवनी	07692 221128
12	संध्या अग्रवाल	उषा लाइट हाऊस बुधवारी बाजार	07692 23769
बालाघाट –बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	डॉ. ऋषभ जैन	20/9, गांधी चौक बालाघाट	07632 240505
2	त्रीलोकचन्द्र केचर	सेवासदन,बालाघाट	07632 240635

क्र.	नाम	पता	फोन नं.
3	सरला कंकरिया	मर्दीकर गली, सर्किट हाऊस रोड, बालाघाट	07632 243262, 9329087582
4	पी.सी भागीरथ	पायल गारमेंट्स, मेन रोड, बालाघाट	
5	विनोद कुनहाटा	भगवान महावीर चौक मैन रोड	07632 240791
– किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	फिरोजा खान	वार्ड नं. 3 बेहार रोड, बालाघाट	07632 247876
7	धर्मेन्द्र त्रिवेदी	इंडस्ट्रीयल एरिया गर्स, बालाघाट	07632 240309
नरसिंहपुर			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	विकास नेमा	नरसिंह वार्ड बखार के पास, नरसिंह पुर	07793 230366
2	अजय नेमा	राम मंदिर के पास तिलक वार्ड	9826630235
3	सुनीता श्रीवास्तव	प्रताप नगर कॉलोनी, घनाटे कॉलोनी, आनंद परिसर, नरसिंहपुर	
4	संतोष वर्मा	देवरी राज मार्ग, ब्लॉक तेंदूखेड़ा	07793 276755
5	अजीत ठाकुर	संजय वार्ड, लालपर	07793 232499
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	सुनील वर्मा	महाजन वार्ड, छिन्दवाड़ा	07793 230626
7	मुन्नी बाई पटेल	1 महाजन वार्ड, बुद्धापारा	07793 230952
छिन्दवाड़ा			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	डॉ अल्पना शुक्ला	बुधवारी बजार, छिन्दवाड़ा	07162 222251
2	डी.पी.घई	12/509, कृष्णा नर्सरी के पीछे, नरसिंहपुर रोड	07162 236169
3	अनुभूति सिन्हा	राज निवास बदवान, छिन्दवाड़ा	07162 244259
4	शेख नजीर	आजाद चौक, दीवानचीपुरा	9425300313
5	गजेन्द्र रघुवंशी	सुनारी मोह गॉव, पों. कुइया	07162 252426
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	डॉ के.के. श्रीवास्तव	171, नोतिया कोशल, छिन्दवाड़ा	07162 220239
7	सुमन भुज	जैन मंदिर के पीछे, गोल गंज, छिन्दवाड़ा	07162 244749, 9301028466
पन्ना			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	हेमलता सिंह	पुलिस लाइन के सामने, सफर बाग , पन्ना	07732 25821096, 9425438032
2	सी.पी.सिंह चौहान	चौहान हाऊस, चर्टजी मार्ग	07732 252642
3	शोभा खेरा	टिकुरिया रामगंज वार्ड, पन्ना	07732 252291
4	आशा गुप्ता	नगर निगम ऑफिस के पीछे, मर्द	07732 252474,

क.	नाम	पता	फोन नं.
		किशोर गंज पन्ना	9425167634
5	सुधीर कु. गुप्ता	कांच मंदिर के पास, टिकुरिया	9424368184
–किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	रविशंकर गुप्ता	बलदेव मंदिर चौक, पन्ना	07732 252272
7	दुर्गा त्रिपाठी	कांच मंदिर के पास, टिकुरिया	07732 252916
सीहोर			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	पुरूषोत्तम कुइया	मैन रोड, सीहोर	
2	शफीक खान	रावतपुर पिछोर, तहसील दावरा, जिला'–सीहोर	9826382415
3	जमुना वर्मा	राजमहल, लुनिया चौहारा, रेल्वे स्टेशन के पास, सीहोर	9826382415
4	रमवति	मेवाड़ा कॉलोनी, आष्टा	
5	इब्राहिम खान	देवेन बाग ब्लॉक, सीहोर	
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	आर.के.श्रीवास्तव	ग्राम दोराहा, छोटा बाजार, सीहोर	
7	प्रेमलता राठोर	फॉरेस्ट रेंज निवास, इंग्लिसपुरा	9229589170
बैतूल			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	बलराम कुम्भारे	गुजरे सधर शिव मंदिर के पास	07141 238233
2	सतीश कु. बडोनिया	भगत सिंह वार्ड सदर बैतूल	07141 238579
3	अनंत राम साहू	इटारसी रोड सदर बाजार, ब्रम्हकुमारी आश्रम के पास, बैतूल	07141 238610
4	राकेश द्विवेदी	गांधी वार्ड, थाना रोड के पास, बैतूल	071 236598
5	महिमा मिश्रा	बैतूलगंज (छुभीधान)	07141 30473
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	जितेन्द्र वर्मा	सुभाष वार्ड, बैतूल	07141 268338
7	कुन्दा सबनेस	पोस्ट ऑफिस के सामने , घेरा डोंगरी मैन रोड, बैतूल	07141 460443, 248591
होशंगाबाद			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	निर्मला माथनकर	आई जी. 19/94, आई टी आई रोड, शांति नगर, होशंगाबाद	
2	जगदीश दुबे	साथिया नशा मुक्ति एण्ड रीहैब्लिटेशन सेंटर, व्यास कॉलोनी, इटारसी	9893732623
3	अनिल कु.झा	आरएमएस कॉलोनी, मालवीय गंज, इटारसी	0757 2234337
4	ममता बाजपेयी	21/22, कस्तुरबा नगर कोरार्क सम्मुक	

क्र.	नाम	पता	फोन नं.
		हाजी, हास्जी मंजील इटारसी	
5	डॉ हबीब खान	कबरा कॉलोनी, पिपरिया, होशंगाबाद	
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	एम.पी. अवस्थी	मलाखेड़ी—होशंगाबाद , साई विकलांग आश्रम	07572 277041
7	आरती दत्ता	कोठी बाजार, होशंगाबाद	
विदिशा			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	डॉ नवीन शर्मा	25—राम सहाय कॉलोनी, शेरपुर	07592 250640
2	देवराज अरोरा	30 बगावे गंज, मेन रोड, विदिशा	07592 234732
3	ममता श्रीवास्तव	नीम टाल गांधी चौक, विदिशा	07592 233483
4	अशोक गोयल	ननवदना विदिशा	07592 232612
5	कालूराम पथिक	171 दुर्गा मार्ग विदिशा	07592 232465
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	सुनीता अग्रवाल	कंचन ज्वेलर्स स्वर्णकार कॉलोनी	07592 232710
7	मुरलीधर थवरानी	आर्य समाज मंदिर शारदा नंद पथ	
रायसेन			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	नरेन्द्र सिंह	जिला अस्पताल कैम्पस, रायसेन	9826984571
2	भूपेश जैन		
3	सजीत सागवान		
4	अबुज महेश्वरी	137, यशवंत नगर, रायसेन	
5	सुरेन्द्र तिवारी		
—किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	ममता दुबे	18,चोपरा मंदिर के पास, एसएम कॉन्वेंट स्कूल, रायसेन	
7	प्रमोद कंकर	70 यशवंत नगर, रायसेन	
दतिया			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	विपिन बिहारी चौरसिया	श्याम वतियोका मंडी मार्केट	07522 234424
2	कृष्णापाल सिंह	ग्रा अभौरा ब्लॉक दतिया	
3	संतोष नेतोरिया	बगाई खाना के पीछे, छोटा बाजार, दतिया	
4	उषा निरंजन	हायर सेकेण्डरी स्कूल के सामने, दतिया	
5	कुसुम तिवारी	पट्टा की दुकान के पास, बड़ा बाजार, दतिया	
—किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			

क्र.	नाम	पता	फोन नं.
6	सावित्रि सिंह	कलेक्ट्रेट के सामने, सिविल लाईन छोटे कोठी के अंदर	
7	प्रकाश अंगल	कृष्णा फैक्ट्री सिविल लाइन, दतिया	07522 234399, 9425110588
अशोक नगर			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	भानू कु.खेरा	गोशाला रोड, अशोक नगर	07542 221155
2	ए.के.रघुवंशी	पो0 मताहितपुर ब्लॉक इशागढ़, अशोक नगर	07541 228020
3	विपिन अग्रवाल	सुभाष गंज, अशोक नगर	9425196002
4	अमरजीत एस.छाबडा	लजपत राय मार्ग, अशोक नगर	9826554541
5	नम्रता रघुवंशी	सिंघा खेड़ी ट्रैक्टर एजेंसी, अशोक नगर	09926466436
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	डॉ राजेन्द्र गोयल	स्ट्रीट नं. 1, महावीर कॉलोनी	9425131910
7	वीणा कायल	कायल सर्जीकल होम, विदिशा रोड, अशोक नगर	9425407881
सतना			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	शैला तिवारी	अंकिता सदन, भरहुत नगर सतना	07672 409022
2	पी.एस.घनेश	राजेन्द्र नगर, स्ट्रीट नं.9 , आशा पाण्डेय, हाऊस सतना	
3	पवन सिंह सौलंकी	राजेन्द्र नगर, स्ट्रीट नं. 12, सतना	
4	सुधा द्विवेदी	पर्वत विहार कॉलोनी, सिविल लाईन, सतना	
5	विभा नायर	सिटी कोतवाली के पीछे, सतना	07672 281299
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	अर्चना द्विवेदी	पर्वत विहार कॉलोनी लिटिल फ्लावर स्कूल, सिविल लाईन, पन्ना रोड, सतना	
7	द्वारका प्रसाद	ग्राम पवैया, पो कुलवा, सतना	
शहडोल			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी) –किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
1	हर्ष वर्धन सिंह	राजा बाग, सौगपुर, शहडोल	
2	पवन मुंदरा	नटराज होटल के सामने, शहडोल	07652 244032
3	सुषमा गुप्ता	शासकीय पॉलीटेक्नीक रोड, पाण्डव नगर, शहडोल	07652 241311
4	राकेश पाण्डे	ग्राम–पो बनवेहरा शहडोल	9826053199
5	नथ्थू सोनी	धनपुरी वार्ड नं. 20, शहडोल	
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			

क्र.	नाम	पता	फोन नं.
7	हेमलता गुप्ता	बुदर रोड, शहडोल	07652 48339
8	डॉ एस.सी.त्रिपाठी	जिला अस्पताल के सामने शहडोल	
उमरिया			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी) –किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
1	बृजेश श्रीवास्तव	खालेश्वर, उमरिया	
2	धीरज सोनी	खालेश्वर मार्ग, उमरिया	
3	दिव्य प्रकाश गौतम	सुभाष गंज, उमरिया	
4	शीला चंदेल	पूर्वी कैम्प, उमरिया	
5	आभा निगम	वार्ड नं. 15, कैम्प, उमरिया	
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	संतोष के.द्विवेदी	एमआईजी–5, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, उमरिया	
7	नीता विश्वकर्मा	रेल्वे कॉलोनी, उमरिया	
दमोह			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	डॉ जयराज दुआ	डॉ दुआ भवन, स्टेशन रोड, दमोह	
2	सुधीर जैन विद्यार्थी	पलंदी चौक, दमोह	9425196903
3	हनुमंत सिंह लोधी	राजकुमार उ.मा.विद्यालय, दमोह	
4	सुसंकृति परिहार		
5	राजीव पांडे		
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	डॉ केदार शिवहरे	निखिल नर्सिंग होम	9425095715
7	डॉ साधना पाण्डे		
सीधी			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	ए.के.चतुर्वेदी	करोली कला, ब्लॉक, सेहावत,सीधी	
2	प्रमोद मिश्रा	उर्मिला सदन, गोपालदास रोड, नाग मंदिर, साऊथ करोदिया, सीधी	07622 252612
3	आशा गुप्ता	बी/28, अम्लार परियोजना, सीधी	9425178695
4	गीता श्रीवास्तव	चित्रांश महिला एवं बालविकास समिति, नार्थ करोदिया, सीधी	
5	हेमराज पटेल	ग्राम मिसीगावा, पो0 बदवगढ़, सीधी	
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	डी.पी.त्रिपाठी	बनवार बघेलन ताला, पो बनवार , ब्लॉक गोपाल बनाश, सीधी	
7	मोनिका श्रीवास्तव	एम.आई.जी–416, मखुत नगर वार्ड नं. 12, बिड़ला अस्पताल के पीछे सीधी	

क्र.	नाम	पता	फोन नं.
अनुपपुर			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	ज्ञानेन्द्र सिंह	सितापुर, जिला अनुपपुर	9425473015
2	जितेन्द्र रजक	मनसिक विकलांग केन्द्र, क्षेत्रीय अस्पताल, कोतमा, अनुपपूर	9981086227
3	जगदीश प्रसाद पांडे	गोधन पो. गोरशीविया, जेथाहारी अनुपपूर	9329517203 9993461308
4	भीखम चन्द्र श्राफ	महावीर मार्ग कोतमा, अनुपपूर	07658 233203
5	कुसुम सिंह	सिवनी पोस्ट, धनगावा, अनुपपूर	9424365719
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	कमलेश्वर वर्मा	बालविहार, पोस्ट धनगावा, अनुपपूर	9424369265
7	मधुलता केशरवानी	अमरकंटक रोड पेट्रोल पंप के पास	9893385185
राजगढ़			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	महेन्द्र पाल	बायपास रोड शिमला ढाबा, राजगढ़	
2	आशमा खान	पुरानी तहसील के पीछे	9425443137
3	अनुराधा जोशी	सुभाष रोड भण्डारा गली, राजगढ़	9425097628
4	रश्मी तिवारी	सब्जी मार्केट, परायण चौकगंज	9926398108
5	लोकेन्द्र चंद	ग्राम गोरखपुरा, पो करादी	07372 256596
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	विकास शुक्ला	गोलोक धाम, बारादरी नरसिंहगढ़,	07375 246011
7	विजय शर्मा		
छतरपुर			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	भुवनेश्वरी पाठक	बसस्टैण्ड के पास नवगॉव रोड, छतरपुर	
2	प्रेम शर्मा	सागर रोड, छतरपुर	
3	डॉ संगीता अंसारी	अंसारी मौहल्ला, छतरपुर	
4	कन्हैयालाल गुप्ता	सुखलाल मौहल्ला, छतरपुर	
5	मधुसुदन पित्रे	महाराष्ट्रा मार्ग, महल रोड, छतरपुर	
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	जगदीश चौरसिया	भदेल खण्ड गरागे वार्ड न. 1, छतरपुर	
7	भाग्यश्री नाथू	महाराष्ट्र मार्ग वार्ड नं. 29, बेनी गंज मौहल्ला छतरपुर	
टीकमगढ़			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	पूरन लाल राजपूत	कर्मा संगत, पो.बलदेवगढ़ टीकमगढ़	9926227896

क्र.	नाम	पता	फोन नं.
2	सुरेश सिंह दांगी	ग्राम+पो बैरवर, ब्लॉक जावरा	9425880348
3	अनिल पांडे	ग्राम+पो. सिमरा, ब्लॉक पृथ्वीपुर	9993272341
4	नीलम जैन	ग्राम+पो.गरगांव, टीकमगढ़,	07583 257321
5	मीना वर्मा	बनपुर,दरवाजा, टीकमगढ़	9893656348
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	डॉ केशव सिंह	12/661, बजरंग नगर, बंकर हाऊस, रीवा	9425145561
7	उषा श्रीवास्तव	यूनीवरसिटी रोड, रीवा	07583 282324
रीवा			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	उर्मिला दुबे	12/861, बजरंग नगर, बंकर हाऊस, रीवा	07662 507720
2	अरूण अग्रवाल	यूनिवर्सिट रोड, रीवा	07662 240834
3	नारायण ताम्रकार	सूरज प्रताप, श्यामलाल वर्तन स्टोर कोर्ट रोड, रीवा	07662 253149
4	डॉ राजबाली गुप्ता	चौराहा पोस्ट ऑफिस के पास, गुधाई बाजार, रीवा	07662 251127
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
5	विष्णु अग्रवाल	अनुग्रह मानव भवन, रीवा	
6	लता आर्य	आर्य भवन, गोल चौराहा, बुद्धवा पेट्रोल पंप के सामने, रीवा	0766 2241775
सागर सी.डब्ल्यू.सी			
1	संजय पांडे	ग्राम धाना, तहसील नगर,	9425691198
2	राम के साहू	ग्राम खजूरिया पो.भैंसा, राहतगढ़, सागर	9300233030
3	सुरेश सिंह जाट	शिवाजी वार्ड, रिमझीरिया, सरस्वती शिशु मंदिर के पास	9827365912
4	ओंकार सिंह ठाकुर	83, दीनदयाल नगर कॉलोनी, मकरोनिया, सागर	9425436489
5	श्वेता जैन	शाहालीन कलेक्शन, 3 बत्ती, सागर	9329467898 9424451899
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)जे.जे.बी			
6	प्रमोद चौकसे	3/53, सदर, सागर	9301342178
7	काली राय	राय बिल्डिंग, इंदिरा कॉलोनी, सिविल लाईन, सागर	9826180881
कटनी			
बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी)			
1	अजय खण्डेलवाल	जय दयाल रोड, सुभाष वार्ड, कटनी	9425158474
2	राजेन्द्र खण्डेलवाल	गोल बाजार, कटनी	9827628009

क्र.	नाम	पता	फोन नं.
3	सकेश अग्रवाल	गोल बाजार, कटनी	9827076644
4	विनय रंगत	रंगत कम्पाउण्ड, महात्मा गांधी वार्ड, कटनी	9425412611
5	मधू खण्डेलवाल	आदर्श कॉलोनी, कटनी	07622 224775
किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.)			
6	शशांक श्रीवास्तव	साई प्रेम, संत नगर, बजाज अस्पताल, सावर वार्ड, नई बस्ती, कटनी	07622 403184, 9425153839
7	सविता शर्मा	विजन केयर, शेर चौक, पुरानी बस्ती, कटनी	9301004110
स्त्रोत–पुलिस मार्गदर्शिका, प्रकाशक–ह्यूमन राईट्स ला नेटवर्क, भोपाल			

जिला प्रमुख–विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस.जे.पी.यू)

जिलेवार संपर्क सूची–फोन नम्बर

क्र.	जिला	ऑफिस	कन्ट्रोल रूम	निवास	मोबाईल
1	अनूपपुर	07659 222001	222534	263111	9753144442
2	अशोक नगर	07543 224500	220601	224501	9826697399
3	टलीराजपुर	07394 233534	234333	222527	9425454100
4	बड़वानी	07290 222561	222631	222561	9826290291
5	बालाघाट	07632 240021	240800	240020	94525318000
6	भोपाल	0755 2443201	2555933	2443400	9425138601
7	बेतूल	07141 233212	232300	230033	9425119980
8	भिण्ड	07534 234300	244514	234301	9425162832
9	बुरहानपुर	07325 2557700	256800	242101	9406586514
10	छततरपुर	07682 241502	243501	241503	9425007920
11	छिन्दवाड़ा	07162 242304	244888	242305	9425009783
12	दमोह	07812 222610	222755	222510	9425087100
13	दतिया	07522 233500	237884	233501	
14	देवास	07272 226110		252120	9425993331
15	धार	07292 406703	406739	406702	9425072424
16	डिंडोरी	07644 234172	234182	234173	9425833403
17	ग्वालियर	0751 2445200	2445333	2445300	9424639786
18	गुना	07542 2563000	252920	256301	9425650080
19	हरदा	07577 223277	223322	223228	9425191602
20	होशंगाबाद	07574 252840	252448	252830	9425928981
21	इंदौर	0731 2525600	2522500	2711000	9425322866
22	जबलपुर	0761 2676111	2676222	2676333	9425176688
23	झाबुआ	07392 243410	243169	243411	9425056696
24	कटनी	07622 222786	23410	224300	9425158889
25	खण्डवा	0733 2222100	2226690	2229998	9425106100
26	खरगोन	07282 251004	251009	251003	9425108714
27	मंडला	07642 250800	250613	250801	9893291174
28	मंदसौर	07422 255050		244250	9425811100
29	मुरेना	07532 232200	233700	232201	9425403242
30	नरसिंहपुर	07792 230941	232163	230903	9425816121
31	नीमच	07423 223058		220070	9425148400
32	पन्ना	07732 252146	252031	252255	9425056212
33	रायसेन	07482 223204	223207	223202	9425085901
34	राजगढ़	07372 255034	255319	255040	9425011776
35	रतलाम	07412 270460	270473	270461	9425487498
36	रीवा	07662 258800	254770	258801	9425145656
37	सगर	07582 267745	267777	267700	9425084003
38	सतना	07672 222125	223100	222755	9425928282
39	सीहोर	07562 227000	227004	227001	9425119688
40	सिवनी	07692 226689	220955	225589	9425113922
41	शहडोल	07652 245100	245100	245101	9425181800

क्र.	जिला	ऑफिस	कन्ट्रोल रूम	निवास	मोबाईल
42	शाजापुर	07364 226432	227100	228433	9425186462
43	श्योपुर	07530 222400	220038	222401	9425035733
44	शिवपुरी	07492 233600	234186	233601	9425156769
45	सीधी	07288 252209	251600	252208	9425154050
46	सिंगरौली	07805 234601	233233	244334	9425916800
47	टीकमगढ़	07683 242350	245400	242351	9424437745
48	उज्जैन	0734 2527130	2527143	2527131	9425918197
49	उमरिया	07653 222164	222710	222165	9424437743
50	विदिशा	07592 234710	234254	234720	9425363598
स्त्रोत–पुलिस मार्गदर्शिका, प्रकाशक–ह्यूमन राईट्स ला नेटवर्क, भोपाल					

बच्चों के अधिकारों की

उपेक्षा या अनदेखी संबधित शिकायत

निम्न पते पर भेज सकते हैं–

सचिव/अध्यक्ष
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
सरदार पटेल भवन,नई दिल्ली 110001
फैक्स–91–11–23382911 या 23382734
फोन–**011**–23384012
ई–मेलः covdnhrc@nic.in,

अध्यक्ष
म. प्र. मानवाधिकार आयोग
पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स,
जेल रोड, भोपाल 462001,
फैक्स–0755–2574028, फोन–**2764505**

अध्यक्ष
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
5 वां तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36,
जनपथ, नई दिल्ली 110 001
फोन –011–23731583, फैक्स–011–23731584
ई–मेल–**shantha.sinha@nic.in**

अध्यक्ष
59, तीसरी मंजिल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स,
भोपाल, ई–मेल–**mpcpcr@gmail.com**
अध्यक्ष–जस्टिस शीला खन्ना–944507786
सचिव–ममता पाठक–9425605168